अनुक्रमणिका

		पृष्ठ संख्या
1.	प्रस्तावना	(i)
2.	सूचना का अधिकार अधिनियम के उपयोग संबंधी मार्गदर्शिका	(iii से 8 तक)
3.	राज्य शासन के द्वारा जारी परिपत्र	9-38
4.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	39-69
5.	सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील नियम, 2005)	71-82
6.	सूचना का अधिकार फीस एवं अपील नियम, 2005 में संशोधन	83-89
7.	लोक प्राधिकारियों की सूची	91-97
8.	सामान्य प्रशासन विभाग के लोक प्राधिकारियों की डायरेक्ट्री	99-101
9.	मंत्रालय के लोक सूचना अधिकारियों की डायरेक्ट्री	103-107

प्रस्तावना

लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है जो उसके कार्यकरण (Functioning) तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिए एवं सरकारों को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है. वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवत: अन्य लोकहितों जैसे सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता बनाये रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है. फिर भी प्रजातंत्र के आदर्श मूल्यों को बनाये रखने के लिए ऐसे विपरीत हितों के बीच सामंजस्य होना आवश्यक है.

यह अधिनियम प्रत्येक लोक प्राधिकारी की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार के व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए है.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 (2) के प्रावधानों के अनुसार मार्गदर्शिका का प्रकाशन किया जा रहा है.

हस्ता./-
(राकेश साहनी)
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

सूचना का अधिकार अधिनियम के उपयोग संबंधी मार्गदर्शिका

सूचना का अधिकार अधिनियम का उपयोग आम नागरिक कैसे करें

1. आपको जिस लोक प्राधिकारी की जानकारी चाहिये उसकी पहचान कीजिये.

2. उस लोक सूचना अधिकारी को चिन्हित कीजिये जिसके पास यह जानकारी है.

3. जानकारी प्राप्त करने के लिये लिखित आवेदन तैयार कीजिये.

4. आवेदन में जानकारी का स्पष्ट उल्लेख कीजिये. जैसे-किस अवधि की जानकारी चाहिये, किस योजना के बारे में जानकारी चाहिये, किस फाईल से संबंधित जानकारी चाहिये, किस रूप में (छायाप्रति, सीडी, फ्लापी, प्रिंटआउट, अवलोकन, निरीक्षण) जानकारी चाहिये.

5. आवेदन के साथ शुल्क रुपये 10/- नगद या नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करें.

6. यदि गरीबी रेखा के नीचे के आवेदक हैं तो इससे संबंधित प्रमाण-पत्र (छायाप्रति) संलग्न कीजिये.

7. आवेदन में अपना पत्राचार का पता दीजिये. यथा-संभव फोन नंबर भी दीजिये.

8. संबंधित लोक सूचना अधिकारी के यहां आवेदन जमा कर पावती प्राप्त कीजिये.

9. निर्णय की प्रतीक्षा कीजिये.

10. 30 दिन में जानकारी न मिलने पर अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन कीजिये. यदि जानकारी मिल भी गई किन्तु आपको लगता है कि यह जानकारी सही नहीं है या आधी-अधूरी जानकारी दी गई है, तो आप जानकारी प्राप्त होने की दिनांक से 30 दिन के अंदर अपीलीय अधिकारी के पास आवेदन कर सकते हैं.

11. अपीलीय अधिकारी के स्तर से भी यदि समुचित कार्यवाही न की जा रही हो अर्थात् आपको जानकारी उपलब्ध न हो तो द्वितीय अपील 90 दिन के अंदर सूचना आयोग के समक्ष करें.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी निम्नलिखित रूप में प्राप्त की जा सकती है .—

(1) कार्यालय अभिलेख, फाईलों एवं कार्यों का निरीक्षण.

(2) कार्यालय में संधारित अभिलेख/दस्तावेजों की प्रमाणित छायाप्रति.

(3) सामग्री के प्रमाणित नमूने.

(4) कम्प्यूटर में उपलब्ध जानकारी को सीडी./ फ्लॉपी, टेप, वीडियो कैसेट या प्रिंट-आउट के रूप में.

आवेदन प्राप्त करने के लिये चैकलिस्ट

		हां	नहीं
1.	आवेदन लिखित है.		
2.	लोक सूचना अधिकारी को संबोधित है.		
3.	चाही गई जानकारी स्पष्टता के साथ लिखी गई है. (जैसे किस अवधि की जानकारी चाहिये, किस योजना के बारे में जानकारी चाहिये, किस फाईल/विषय से संबंधित जानकारी चाहिये आदि. किस रूप में जानकारी चाहिये जैसे छाया प्रति/सीडी/फ्लापी/कम्प्युटर से प्रिंट आउट/मुद्रित प्रति/नमूना या किसी फाईल/अभिलेख या कार्य का अवलोकन/निरीक्षण करना चाहते हैं.)		
4.	आवेदन में पत्राचार का पता लिखा गया है.		
5.	शुल्क/रसीद/बीपीएल का प्रमाण-पत्र संलग्न है.		

नोट.—1. यदि सभी मदों में हां पर टिक (सही) का चिन्ह अंकित है तो आवेदन प्राप्त कर आगे की कार्यवाही की जाये.

2. यदि नहीं तो संबंधित को तत्काल सूचित करते हुए आवेदन पूरा करने हेतु अनुरोध/सहयोग किया जाये.

शुल्क संरचना

1. **आवेदन शुल्क**

लोक सूचना अधिकारी	रुपये 10/-
प्रथम अपीलीय अधिकारी	रुपये 50/-
आयोग के समक्ष अपील	रुपये 100/-

नोट.—गरीबी रेखा से नीचे के आवेदक को शुल्क नहीं देना है, किन्तु बी.पी.एल. के प्रमाण-पत्र की छाया प्रति प्रस्तुत करनी होगी.

2. **लागत**

1.	ए 3/ए 4 साईज के पेपर में फोटो कापी	रुपये 2/- प्रति पेज
2.	मुद्रित सामग्री	लोक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित मूल्य
3.	मुद्रित सामग्री से उद्धरण	रुपये 2/- प्रति पेज
4.	बड़े आकार के कागज में फोटो कापी	लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित लागत
5.	सी.डी./फ्लापी में जानकारी	रुपये 50/- प्रति फ्लापी/सी.डी.
6.	निरीक्षण/अवलोकन शुल्क	प्रथम घंटा रुपये 50/- उसके बाद के प्रत्येक 15 मिनिट के लिये रुपये 25/-.
7.	नमूने की लागत	लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित लागत

नोट.— गरीबी रेखा से नीचे के आवेदक को सभी आवेदन शुल्क माफ हैं. साथ ही नमूने या सैम्पल की लागत को छोड़ कर अन्य किसी सूचना की लागत देय नहीं है.

लोक सूचना अधिकारी द्वारा सम्पन्न की जाने वाली गतिविधियां

- आवेदन प्राप्त करें. आवेदन के साथ में रुपये 10/- की फीस या गरीबी रेखा से नीचे का प्रमाण-पत्र संलग्न प्राप्त करें.
- आवेदन पूर्ण हैं या नहीं इसकी जांच करें.
- यदि आवेदक, आवेदन लिखने की स्थिति में नहीं हो तो उसे सहयोग करें.
- आवेदन प्राप्त होने पर आवेदक को पावती रसीद उपलब्ध करायें.
- यदि आपके कार्यालय से संबंधित जानकारी नहीं है, तो उस आवेदन को संबंधित कार्यालय को 5 दिवस के अंदर भेजें और इसकी सूचना आवेदक को भी इस सुझाव के साथ दें कि इस जानकारी के लिये वह संबंधित कार्यालय से संपर्क करें.
- शासन के द्वारा निर्धारित पंजी में आवेदन की प्रविष्टि करें.
- समय-सीमा अंकित करते हुए आवेदन संबंधित कक्ष प्रभारी को अंकित करें.
- यदि तृतीय पक्ष का मामला है, तो संबंधित को सूचित करने की कार्यवाही करें. (प्रारूप देखिये)
- 30 दिन के अंदर सूचना उपलब्ध कराना या नहीं कराने संबंधी कार्यवाही सुनिश्चित करें.
- यदि आवेदक को जानकारी नहीं दी जा रही हो, तो इस संबंध में आवेदक को सकारण सूचित करते हुए अपील के प्रावधानों से अवगत करायें तथा अपीलीय अधिकारी का विवरण दें. (प्रारूप देखिये)
- यदि आपको ऐसा लगता है, कि मांगी गई जानकारी देने से कार्यालय पर अननुपातिक अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा या इस जानकारी के उपलब्ध कराने से रिकार्ड/फाईल के रखरखाव पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा तो आप विवेक का उपयोग करते हुये निर्णय लीजिए. जानकारी को दूसरे रूप में प्राप्त करने हेतु सुझाव दे सकते हैं.
- यदि जानकारी उपलब्ध कराने हेतु बजट राशि पर्याप्त नहीं है, तो अतिरिक्त राशि की व्यवस्था हेतु समुचित उच्च अधिकारी को लिखें.
- यदि जानकारी उपलब्ध करानी है, तो लागत की गणना कर राशि जमा करने हेतु आवेदक को पत्र भेजें. (शासन के द्वारा जारी प्रपत्र दो का उपयोग कीजिए).
- यदि आवेदक बी.पी.एल. श्रेणी में है, तो इसकी पुष्टि कर जानकारी उपलब्ध कराने की दिशा में कार्यवाही कीजिए.
- यदि आवेदक अभिलेख/रिकार्ड या किसी कार्य का अवलोकन करना चाहे तो वह व्यवस्था सुनिश्चित करें, इसके लिए कार्यालय के किसी अधिकारी/कर्मचारी की ड्यूटी लगाने संबंधी लिखित आदेश जारी करें.
- अभिलेख रिकार्ड आदि संबंधित कर्मचारी/अधिकारी को उपलब्ध करायें तथा कार्यवाही उपरांत इसे वापस प्राप्त करें.
- सुनिश्चित करें कि फाईल/अभिलेख सही वापस आ गये हैं.
- अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त प्रत्येक आवेदन की अद्यतन स्थिति/रिपोर्ट तैयार रखें.

लोक सूचना अधिकारी अपना दायित्व सही तरीके से निभा सके इसके लिए निम्नानुसार जानकारी उनके पास उपलब्ध होना चाहिए.

- लोक सूचना अधिकारी के पास स्वयं प्रकटीकरण के अन्तर्गत तैयार विभागीय मैन्युअल की प्रति.
- विभागीय वार्षिक प्रशासकीय प्रतिवेदन की प्रति.
- कम्प्यूटर/इलेक्ट्रानिक फार्म में जो जानकारी है, उसकी सूची.
- संस्था/कार्यालय के विजन, मिशन, उद्देश्य, दायित्व एवं कर्तव्य.
- सूचना प्राप्ति हेतु आवेदन का प्रारूप.
- पावती/शुल्क रसीद.
- पंजी जिसमें दिन/प्रतिदिन प्राप्त आवेदनों का लेखा-जोखा अंकित किया जाना है.
- लंबित प्रकरणों, निराकृत आवेदनों के संबंध में जानकारी.
- सहजता से सूचना उपलब्ध कराने हेतु कार्यालय में बैठक व्यवस्था.
- रिकार्ड/अभिलेख निरीक्षण हेतु जगह निर्धारण.
- कार्य निरीक्षण की प्रक्रिया तथा दिन समय आदि का निर्धारण.

तृतीय पक्ष प्रकरण

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 11 के अंतर्गत तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के संबंध में दो परिस्थितियां हो सकती हैं —

1. लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराने की मंशा/इच्छा रखता है — यदि लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी उपलब्ध नहीं कराना चाहता है, तो तृतीय पक्ष के अभिमत की आवश्यकता नहीं है और अधिनियम की धारा 8-9 का जिक्र करते हुए आवेदक को जानकारी उपलब्ध नहीं कराने संबंधी निर्णय से अवगत करा देंगे. इस स्थिति में तृतीय पक्ष का अभिमत लिया जाना अपेक्षित नहीं है.

2. लोक सूचना अधिकारी तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने की मंशा/इच्छा रखता है.

उपरोक्त परिस्थिति में लोक सूचना अधिकारी आवेदन प्राप्ति के 5 दिन के अंदर लिखित में संबंधित तृतीय पक्ष को सूचित करेंगे.

तृतीय पक्ष को 10 दिन की अवधि के अन्दर लिखित में या मौखिक रूप से अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु सलाह/सुझाव देंगे.

धारा 21 की मंशा के अनुरूप तृतीय पक्ष को जारी किये गये पत्र की प्रतिलिपि आवेदक को भी दिया जाना उपयुक्त होगा, ताकि आवेदक सूचना उपलब्ध कराने की दिशा में की जा रही कार्यवाही से अवगत हो सके.

लोक सूचना अधिकारी के द्वारा तृतीय पक्ष को जारी पत्र के संदर्भ में 4 संभावित परिस्थितियों में कोई एक उत्पन्न हो सकती है.

1. **तृतीय पक्ष पत्र का कोई उत्तर ही नहीं दें.**—ऐसी स्थिति में यह माना जायेगा कि तृतीय पक्ष को सूचना दिये जाने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है. सूचना उपलब्ध कराई जाने संबंधी कार्यवाही लोक सूचना अधिकारी के द्वारा संपन्न की जाये.

2. **तृतीय पक्ष के द्वारा सूचना उपलब्ध कराने के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है.**—यदि वे लिखित में लोक सूचना अधिकारी को सूचित करते हैं, तब जानकारी आवेदक को देने संबंधी कार्यवाही की जाये. यह आदर्शतम स्थिति है.

3. **तृतीय पक्ष की आपत्ति लोक सूचना अधिकारी की सहमति.**—सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने की दशा में लोक सूचना अधिकारी धारा 8-9 के अंतर्गत प्रकरण का पुर्नपरीक्षण करने और सूचना नहीं उपलब्ध कराने संबंधित निर्णय से लिखित में आवेदक को सूचित करेंगे साथ ही अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत उन्हें अपील संबंधित प्रावधान के विषय में जानकारी देंगे कि यदि इस निर्णय से वे सहमत/संतुष्ट नहीं हो तो 30 दिन की अवधि के अंदर अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपना पक्ष प्रस्तुत करें.

4. **तृतीय पक्ष की आपत्ति एवं लोक सूचना अधिकारी की असहमति.**—सूचना उपलब्ध कराये जाने की दशा में लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध कराने संबंधी निर्णय से तृतीय पक्ष को अवगत करायेंगे और उन्हें सुझाव देंगे कि यदि वे इस निर्णय से असंतुष्ट हैं या असहमत हैं तो 30 दिन की अवधि में अपीलीय अधिकारी के समक्ष अधिनियम की धारा 19 के अंतर्गत अपील कर सकते हैं. इस संबंध में अपीलीय अधिकारी का विवरण भी उपलब्ध करायेंगे.

तृतीय पक्ष को जारी किये जाने वाले पत्र का प्रस्तावित प्रारूप

प्रति,

तृतीय पक्ष,

नाम . . . . . .

पता . . . . . .

विषय.—तृतीय पक्ष से संबंधित जानकारी.

संदर्भ.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन दिनांक . . . . . .

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जा रहा है, कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 का उपयोग करते हुए एक आवेदक ने आपके संबंध में निम्नलिखित जानकारी चाही है .—

1.

2.

3.

उपरोक्त आवेदन के संदर्भ में यह भी उल्लेखनीय है, कि मैं यह जानकारी जो आपसे संबंधित है/आपके द्वारा उपलब्ध कराई गई है/आपके द्वारा गोपनीय घोषित की गई है, आवेदक को उपलब्ध कराने की मंशा रखता हूं.

अत: आपको सूचित किया जाता है कि इस संबंध में आप मौखिक रूप से या लिखित रूप से अधोहस्ताक्षरकर्ता को 10 दिन के अंदर सूचित करें कि यह जानकारी उन्हें उपलब्ध कराई जाये या नहीं. निर्धारित तिथि तक आप से प्रत्युत्तर न मिलने की स्थिति में आपकी सहमति मानते हुए आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने संबंधी कार्यवाही की जायेगी.

भवदीय,

नाम :
लोक सूचना अधिकारी
कार्यालय का नाम

प्रतिलिपि .—

श्री . . . . . को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त उनके आवेदन दिनांक . . . . . के संदर्भ में सूचनार्थ.

राज्य शासन के द्वारा जारी नियम एवं परिपत्र

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय
वल्लभ भवन, भोपाल - 462004

क्रमांक एफ 11-37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन तथा मार्गदर्शन के संबंध में.

सन्दर्भ.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जारी परिपत्र क्र. एफ 11-37/2005/एक/9, दिनांक 10 अक्टूबर, 2005 एवं 14 अक्टूबर, 2005, अधिसूचना क्रमांक 542 (असाधारण) दिनांक 10 नवम्बर, 2005 एवं अधिसूचना क्रमांक 543 (असाधारण) दिनांक 10 नवम्बर, 2005.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 दिनांक 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावशील हो गया है. इस संबंध में उपरोक्त संदर्भित पत्रों के माध्यम से निर्देश प्रसारित किए गये हैं. अधिनियम के क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार विसंगतियां दृष्टिगोचर हुई हैं .—

1. अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 8 अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा आवेदन के निराकरण के संबंध में जारी पत्र/आदेश में आवेदन को अमान्य करने के कारणों, समयावधि जिसके अंतर्गत आवेदक द्वारा विहित प्राधिकारी को अपील की जा सके तथा अपीलीय प्राधिकारी का नाम एवं पते का विवरण दिया जाना आवश्यक है. लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारियों द्वारा उक्त प्रावधान का पालन नहीं किया जा रहा है.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 की उपधारा 3 में प्रावधान है कि यदि प्राप्त आवेदन की जानकारी किसी अन्य लोक प्राधिकारी से संबंधित है अथवा जानकारी की विषयवस्तु अन्य प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबद्ध है तो उक्त आवेदन संबंधित लोक प्राधिकारी को 5 दिन के अंदर अंतरित किया जावेगा, परंतु मंत्रालय स्तर पर विभिन्न विभागों में नामांकित लोक सूचना अधिकारियों द्वारा उसी विभाग की अन्य शाखा से संबंधित आवेदन को संबंधित शाखा को अंतरित कर आवेदक को संबंधित शाखा से जानकारी प्राप्त करने हेतु सूचित किया जाता है, जो कि उचित नहीं है. विभाग विशेष के लोक सूचना अधिकारी को संबंधित शाखा से जानकारी प्राप्त कर आवेदक को उपलब्ध करानी है.

3. विभागीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा प्रथम अपील सुनी जाएगी एवं अपील का निराकरण करते समय अधिनियम के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए कारणों सहित सुस्पष्ट आदेश (Speaking Order) जारी किया जाएगा. कुछ ऐसे प्रकरण जानकारी में आए हैं, जिनमें लोक सूचना अधिकारी द्वारा अपीलीय प्राधिकारी से आवेदक को जानकारी उपलब्ध कराने या न कराने बाबत् नोटशीट पर अनुमोदन लिया गया है एवं तत्पश्चात उसी प्रकरण में अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपील का निराकरण किया गया है. इस तरह की प्रक्रिया उचित न होकर नैसर्गिक न्याय के विरुद्ध है.

4. कुछ विभागों में लोक सुचना अधिकारियों द्वारा आवेदकों से नकद राशि न प्राप्त करते हुए नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प लाने हेतु मजबूर किया जा रहा है. इस संबंध में सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 के नियम 3, 4, 5, 7 एवं 8 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है, जिसमें स्पष्ट प्रावधान है कि फीस अथवा सूचना की लागत नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ-साथ संबंधित कार्यालय में नकद रूप में (एमपीटीसी की रसीद काटकर) भी जमा की जा सकती है. अत: प्रावधान अनुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाए.

5. कुछ विभागों में लोक सूचना अधिकारियों द्वारा यह कहकर आवेदन को अमान्य किया गया है कि आवेदन निर्धारित प्रारूप में नहीं है. इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 के साथ संलग्न आवेदन-पत्र का प्रारूप सुविधा के लिए नमूना मात्र है. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (2) के प्रावधान अनुसार आवेदक सादे कागज पर भी संपर्क का पता एवं चाही गई जानकारी का विवरण देकर आवेदन कर सकता है एवं इस आवेदन को मान्य किया जाना है.

6. सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के संबंध में कई विभागों द्वारा मार्गदर्शन चाहे जा रहे हैं. मार्गदर्शन के मुख्य मुद्दे एवं अधिनियम/नियम अनुसार वस्तुस्थिति परिशिष्ट-एक में आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न है.

संलग्न— परिशिष्ट एक

हस्ता./-
(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ. 11-37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 6 फरवरी, 2006

प्रतिलिपि .—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश सूचना-आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ ग्वालियर/इंदौर,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
15. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, विंध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

परिशिष्ट-एक

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के क्रियान्वयन के संबंध में मार्गदर्शन के मुख्य मुद्दे एवं अधिनियम/नियम के प्रावधान अनुसार वस्तुस्थिति

क्र. (1)	मार्गदर्शन का बिंदु (2)	वस्तुस्थिति (3)
1	गोपनीय प्रतिवेदन की प्रतियां दी जाना है अथवा नहीं?	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) में "सूचना" एवं 2 (आई) में "अभिलेख" परिभाषित हैं एवं गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति इस परिभाषा के अंतर्गत आती है. इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (जे) का अवलोकन किया जाना उचित होगा, जिसमें उल्लेख है कि सूचना, जो कि व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है एवं जिससे व्यक्ति की निजता (Privacy) पर अनावश्यक अतिक्रमण होता हो, ऐसी सूचना प्रदाय किया जाना बंधनकारी नहीं है. गोपनीय प्रतिवेदन की प्रति इसी श्रेणी में आती है. अत: लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को जब तक यह समाधान नहीं हो जाता है कि गोपनीय प्रतिवेदन का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है, प्रदाय किया जाना/अवलोकन कराया जाना बंधनकारी नहीं है.
2	विभागीय पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण दिया जाना है अथवा नहीं?	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) में "सूचना" एवं 2 (आई) में "अभिलेख" परिभाषित हैं एवं पदोन्नति समिति का कार्यवाही विवरण की प्रति इस परिभाषा के अंतर्गत आती है. यह अभिलेख सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 एवं 9 के अधीन प्रदाय के बंधन से मुक्त नहीं है. अत: विभागीय पदोन्नति समिति की कार्यवाही पूर्ण होने के उपरांत एवं पदोन्नति आदेश पूर्ण या आंशिक रूप से जारी किए जाने के उपरांत कार्यवाही विवरण की प्रति उपलब्ध कराने/ अवलोकन कराने में आपत्ति नहीं है. परंतु लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को जब तक यह समाधान नहीं हो जाता है कि कार्यवाही विवरण के मूल्यांकन पत्रक का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है, प्रदाय किया जाना/अवलोकन कराया जाना अधिनियम की धारा 8 (जे) के अंतर्गत बंधनकारी नहीं है. अत: पदोन्नति समिति के कार्यवाही विवरण के साथ सामान्यत: मूल्यांकन पत्रक का अवलोकन/प्रदाय न किया जाए.
3	नोटशीट की प्रति उपलब्ध कराई जानी है अथवा नहीं?	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) में "सूचना" एवं 2 (आई) में "अभिलेख" परिभाषित हैं एवं नोटशीट की प्रति इस परिभाषा के अंतर्गत आती है. अत: यदि नोटशीट उक्त जानकारी से संबंधित नहीं है, जो कि अधिनियम की धारा 8 एवं 9 के तहत प्रदाय के बंधन से मुक्त है, उन नोटशीटों की प्रति उपलब्ध कराने/अवलोकन कराने में आपत्ति नहीं है.
4	एक जिले के गरीबी-रेखा के नीचे के व्यक्ति को दूसरे जिले में फीस/लागत से छूट की पात्रता है अथवा नहीं?	सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005 की कंडिका 2 में "गरीबी रेखा के नीचे" की परिभाषा अनुसार गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति को पूरे मध्यप्रदेश में फीस/लागत में छूट की पात्रता रहेगी.

(1)	(2)	(3)
5	गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति की पुष्टि हेतु क्या प्रक्रिया अपनायी जाए?	गरीबी रेखा के नीचे के व्यक्ति की पुष्टि बावत् इस हेतु जारी कार्ड की सत्यापित प्रति प्राप्त किया जाना पर्याप्त प्रमाण होगा.
6	सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम (प्रथम संशोधन), 2005 के संशोधन (2) अनुसार नियम (5) (1) में वाक्य ''ऐसे आवेदक द्वारा'' के पश्चात् ''जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं'' के विलोपन से क्या गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति से भी सूचना की लागत ली जानी है?	विषयांकित संशोधन के उपरांत भी गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति को फीस एवं सूचना की लागत के संबंध में छूट यथावत है, क्योंकि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7 की उपधारा 5 के परंतुक अनुसार अधिनियम में ही फीस एवं सूचना की लागत में छूट का प्रावधान है. इस प्रकार उपरोक्त संशोधन के पूर्व एवं संशोधन के उपरांत भी गरीबी रेखा से नीचे के व्यक्ति से नमूने की लागत के अतिरिक्त अन्य कोई फीस देय नहीं है.
7	ऐसी सहकारी सोसाइटियां, जो कि राज्य/केन्द्र शासन की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निधियों से वित्त पोषित नहीं है, इस अधिनियम के तहत पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आएंगी अथवा नहीं?	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 2 (एच) में ''पब्लिक अथॉरिटी'' परिभाषित है. उक्त परिभाषा के अनुसार ऐसी सहकारी सोसाइटियां, जो कि राज्य/केन्द्र शासन की प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष निधियों से वित्त पोषित नहीं हैं, पर यदि अधिनियम की धारा 2 (एच) (ए से डी) के तहत स्थापित या गठित की गई हैं, तो पब्लिक अथॉरिटी की श्रेणी में आएगी.
8	पटवारी चयन परीक्षा/अन्य परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिका की छायाप्रति संबंधित परीक्षार्थी अथवा अन्य किसी आवेदक को प्रदाय की जा सकती है अथवा नहीं?	सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 2 (एफ) में ''सूचना'' एवं 2 (आई) में ''अभिलेख'' परिभाषित हैं एवं परीक्षा की उत्तर पुस्तिका की प्रति इस परिभाषा के अंतर्गत आती है. इस संबंध में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 8 (जे) का अवलोकन किया जाना उचित होगा, जिसमें उल्लेख है कि सूचना, जो कि व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है एवं जिससे व्यक्ति की निजता (Privacy) पर अनावश्यक अतिक्रमण होता हो, ऐसी सूचना प्रदाय किया जाना बंधनकारी नहीं है. किसी भी परीक्षा में परीक्षार्थी की उत्तर पुस्तिका की प्रति इसी श्रेणी में आती है. अतः लोक सूचना अधिकारी या अपीलीय प्राधिकारी को जब तक यह समाधान नहीं हो जाता है कि उत्तर पुस्तिका का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है, प्रदाय किया जाना/अवलोकन कराया जाना बंधनकारी नहीं है.

हस्ता./-
(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन.

भारत सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 बनाया गया है, जो कि 12 अक्टूबर, 2005 से प्रभावशील हो गया है. यदि इस अधिनियम का सकारात्मक एवं प्रभारी क्रियान्वयन किया जाता है तो, यह अधिनियम शासकीय कार्यप्रणाली में भ्रष्टाचार को रोकने एवं जवाबदेही को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है. राज्य शासन इस अधिनियम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दृढ़ संकल्प है एवं इसके प्रभावी क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण हेतु निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं .—

1. अधिनियम की धारा 4 के तहत विभागों एवं उनके अधीनस्थ विभागाध्यक्षों द्वारा 17 बिंदुओं का मैन्युअल बनाया गया है. इस मैन्युअल को वेबसाइट पर अपलोड करते हुए उसका प्रचार-प्रसार किया जाए. कुछ विभागों द्वारा सभी बिंदुओं पर विस्तृत जानकारी नहीं दी गई है. अत: विभाग अपने मैन्युअल का पुनरीक्षण कर लें. मैन्युअल बनाने का उद्देश्य आम नागरिक को अधिक-से अधिक जानकारी अपने आप उपलब्ध कराई जाना है, जिससे कि आम नागरिक को सामान्यत: जानकारी प्राप्त करने हेतु आवेदन-पत्र का सहारा न लेना पड़े. मैन्युअल बनाये जाने के उपरांत जैसे ही मैन्युअल में वर्णित किसी जानकारी में परिवर्तन होता है, वैसे ही तत्काल उसे अद्यतन किया जाये. साथ ही साफ्टवेयर में यह संशोधन किया जाए कि विभाग द्वारा जब जानकारी अद्यतन की जाती है, तो अद्यतन किए जाने की तारीख स्वमेव वेबसाइट के सामने अंकित हो जाए.

2. प्रत्येक विभाग द्वारा एक अधिकारी को प्राधिकृत किया जाये, जो प्रतिमाह यह प्रमाण-पत्र विभागीय प्रमुख सचिव/सचिव के समक्ष प्रस्तुत करे कि विभागीय मैन्युअल में जानकारियां अद्यतन हैं.

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5 अंतर्गत सभी विभागों द्वारा उनकी प्रशासकीय ईकाइयों या उनके अधीनस्थ कार्यालयों में लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी नामांकित किया गया है. यह जानकारी 17 बिंदु के उपरोक्त मैन्युअल में भी दी जानी है. कतिपय विभागों द्वारा उपरोक्त मैन्युअल में यह जानकारी नहीं दी गई है, जिसे तत्काल मैन्युअल में शामिल कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए.

4. सामान्य प्रशासन विभाग को शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कुछ लोक सूचना अधिकारियों/सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया जा रहा है. अत: आवश्यक है कि सभी विभाग उनके अधीनस्थ कार्यालयों में नामांकित सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा की जाने वाली कार्यवाहियों पर सतत् निगरानी रखें, जिससे कि उनके द्वारा आवेदनों का निराकरण अधिनियम के प्रावधान एवं मंशा के अनुरूप समय-सीमा में किया जाना सुनिश्चित हो सके. यदि उपरोक्त नामांकित अधिकारियों द्वारा अपने दायित्व का निर्वहन उचित ढंग से नहीं किया जाता है तो यह कदाचार की श्रेणी में आएगा तथा इसके लिए सक्षम अधिकारी द्वारा अनुशासनात्मक कार्यवाही की जानी चाहिए.

5. (1) लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी द्वारा समय-सीमा में आवेदनों का निराकरण किया जा रहा है अथवा नहीं, इसके अनुश्रवण के लिए सभी विभाग अपने अधीनस्थ कार्यालयों से प्रपत्र 1(अ), 1(ब), 2(अ) एवं 2(ब) में प्रतिमाह जानकारी प्राप्त कर समीक्षा करें. साथ ही इस विभाग द्वारा समीक्षा हेतु प्रपत्र ''तीन'' में त्रैमासिक प्रतिवेदन सामान्य प्रशासन विभाग को प्रेषित किया जाए. इन प्रपत्रों से प्राप्त जानकारी की समीक्षा सुगमता से करने के लिए NIC के माध्यम से एक साफ्टवेयर शीघ्र ही आपको उपलब्ध कराया जाएगा एवं जानकारी इस साफ्टवेयर के माध्यम से जिला स्तर पर दर्ज करने की सुविधा होगी.

5. (2) प्रत्येक विभाग सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी की एक डायरेक्टरी संलग्न प्रपत्र ''चार'' अनुसार तैयार करें एवं यह डायरेक्टरी वेबसाइट पर उपलब्ध कराने के साथ-सांथ आम नागरिक को भी लागत मूल्य पर प्रदाय किए जाने की व्यवस्था करें. इस डायरेक्टरी की एक प्रति एक माह के अंदर इस विभाग को भी अनिवार्यत: प्रेषित की जाए.

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन मंशा के अनुरूप तभी हो सकता है, जब आम नागरिक को भी सूचना के अधिकार की सही जानकारी हो. इस हेतु आवश्यक है कि सभी विभाग इस संबंध में अपने-अपने माध्यम से प्रचार-प्रसार करें, जिससे कि आम नागरिक भी अपने इस अधिकार के प्रति सजग एवं जागरुक हों.

हस्ता./-
(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ 11-37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2006

प्रतिलिपि .—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग,
10. सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ ग्वालियर/इंदौर,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
14. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

प्रपत्र-''एक(अ)''

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत आवेदनों के निराकरण का समीक्षा पत्रक

(लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर)

(गरीबी रेखा से नीचे के आवेदनों हेतु)

विभाग का नाम .....

क्र.	जिला	कार्यालय का नाम एवं पता	गत माह अंत तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	माह में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (4+5)	गत माह अंत तक निराकृत आवेदनों की संख्या	माह में निराकृत आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या (योग 7+8)	माह के अंत में कुल लंबित आवेदनों की संख्या (6-9)	निराकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के ऊपर के लंबित प्रकरणों की स्थिति			
										एक माह तक	1 से 3 माह तक	3 माह से अधिक	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

प्रपत्र-"एक(ब)"

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत आवेदनों के निराकरण का समीक्षा पत्रक

(लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक लोक सूचना अधिकारी स्तर)

(गरीबी रेखा को छोड़कर अन्य आवेदनों हेतु)

विभाग का नाम .....

क्र.	जिला	कार्यालय का नाम एवं पता	गत माह अंत तक प्राप्त आवदनों की संख्या	माह में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (4+5)	गत माह अंत तक निराकृत आवेदनों की संख्या	माह में निराकृत आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या (योग 7+8)	माह के अंत में कुल लंबित आवेदनों की संख्या (6-9)	निराकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के ऊपर के लंबित प्रकरणों की स्थिति			
										एक माह तक	1 से 3 माह तक	3 माह से अधिक	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

प्रपत्र-''दो (अ)''

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत आवेदनों के निराकरण का समीक्षा पत्रक

(अपीलीय प्राधिकारी स्तर)

(गरीबी रेखा से नीचे के आवेदनों हेतु)

विभाग का नाम .....

माह .....

क्र.	जिला	कार्यालय का नाम एवं पता	गत माह अंत तक प्राप्त आवदनों की संख्या	माह में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (4+5)	गत माह अंत तक निराकृत आवेदनों की संख्या	माह में निराकृत आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या (योग 7+8)	माह के अंत में कुल लंबित आवेदनों की संख्या (6-9)	निराकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के ऊपर के लंबित प्रकरणों की स्थिति			
										एक माह तक	1 से 3 माह तक	3 माह से अधिक	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

प्रपत्र-"दो (ख)"

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत आवेदनों के निराकरण का समीक्षा पत्रक

(अपीलीय प्राधिकारी स्तर)

(गरीबी रेखा को छोड़कर अन्य आवेदनों हेतु)

विभाग का नाम . . . .

माह . . . .

क्र.	जिला	कार्यालय का नाम एवं पता	गत माह अंत तक प्राप्त आवदनों की संख्या	माह में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (4+5)	गत माह अंत तक निराकृत आवेदनों की संख्या	माह में निराकृत आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या (योग 7+8)	माह के अंत में कुल लंवित आवेदनों की संख्या (6-9)	निराकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के ऊपर के लंवित प्रकरणों की स्थिति			
										एक माह तक	1 से 3 माह तक	3 माह से अधिक	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत आवेदनों के निराकरण का त्रैमासिक समीक्षा पत्रक

(विभाग स्तर)

त्रैमास-अप्रैल-जून/जुलाई-सितंबर/अक्टूबर-दिसंबर/जनवरी-मार्च

क्र.	विभाग का नाम	गत तिमाही के अंत तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (3+4)	गत तिमाही अंत तक निराकृत आवेदनों की संख्या	वर्तमान तिमाही में निराकृत आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या (योग 6+7)	तिमाही के अंत में कुल लंबित आवेदनों की संख्या (5-8)	निराकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के ऊपर के लंबित प्रकरणों की स्थिति			
									एक माह तक	1 से 3 माह तक	3 माह से अधिक	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

नोट.—जिस त्रैमास की जानकारी प्रेषित की जा रही है, उस त्रैमास का वर्ष सहित उल्लेख किया जाए.

सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी/अपीली प्राधिकारी की डायरेक्टरी

विभाग का नाम	जिले का का नाम	कार्यालय का नाम एवं पता	सहायक लोक सूचना अधिकारी का विवरण				लोक सूचना अधिकारी का विवरण				संबंधित अपीली प्राधिकारी का विवरण			
			नाम एवं पता	दूरभाष क्रमांक एवं कोड	फैक्स नं.	ई-मेल	नाम एवं पता	दूरभाष क्रमांक एवं कोड	फैक्स नं.	ई-मेल	नाम एवं पता	दूरभाष क्रमांक एवं कोड	फैक्स नं.	ई-मेल

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 8 अगस्त, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन.

सन्दर्भ.—इस विभाग का समसंख्यक परिपत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2006.

कृपया विभाग के संदर्भ परिपत्र का अवलोकन करें, जिसमें विभागों द्वारा प्रपत्र ''तीन'' में जानकारी संकलित कर त्रैमासिक प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित किये जाने हेतु अनुरोध किया गया था. उक्त प्रपत्र ''तीन'' के कुछ कॉलम विसंगतिपूर्ण होने के कारण संशोधित प्रपत्र ''तीन'' संलग्न प्रेषित है. कृपया संशोधित प्रपत्र में आपके विभाग की संकलित त्रैमासिक जानकारी इस विभाग को प्रेषित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ 11-37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 8 अगस्त, 2006

प्रतिलिपि .—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग,
10. सचिव, राज्य सूचना आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ ग्वालियर/इंदौर,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग,
14. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
15. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 अंतर्गत आवेदनों के निराकरण का त्रैमासिक समीक्षा पत्रक

(विभाग स्तर)

त्रैमास--अप्रैल-जून/जुलाई-सितंबर/अक्टूबर-दिसंबर/जनवरी-मार्च

क्र.	विभाग का नाम	गत तिमाही के अंत तक प्राप्त आवेदनों की संख्या	तिमाही में प्राप्त आवेदनों की संख्या	योग (3+4)	गत तिमाही अंत तक निराकृत आवेदनों की संख्या	वर्तमान तिमाही में निराकृत आवेदनों की संख्या	कुल निराकृत आवेदनों की संख्या (योग 6+7)	तिमाही के अंत में कुल लंबित आवेदनों की संख्या (5-8)	निराकरण हेतु निर्धारित समय-सीमा के ऊपर के लंबित प्रकरणों की स्थिति			
									एक माह तक	1 से 3 माह तक	3 माह से अधिक	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)

नोट.—जिस त्रैमास की जानकारी प्रेषित की जा रही है, उस त्रैमास का वर्ष सहित उल्लेख किया जाए.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 11-37/1/9/05 भोपाल, दिनांक 22-8-2006

प्रति,

सचिव,
राज्य सूचना आयोग,
निर्वाचन भवन, अरेरा हिल्स,
भोपाल.

विषय .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 सूचना/सेंपल से प्राप्त आय के संबंध में.

सन्दर्भ.—आपका अ. शा. पत्र क्र. वि. 105/रा.सू.आ./06/928, दिनांक 13-6-06.

उपर्युक्त विषयांकित संदर्भ में आदेशानुसार लेख है कि वित्त विभाग द्वारा शास्ति की राशि फीस हेतु निर्धारित मद में जमा किए जाने के संबंध में महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम ग्वालियर से मुख्य शीर्ष व प्रक्रिया की जानकारी चाही गई है.

उक्त जानकारी प्राप्त होने तक कृपया शास्ति की राशि मुख्य शीर्ष 0070 अन्य प्रशासनिक सेवाएं उपशीर्ष-60-अन्य सेवाएं-लघुशीर्ष-800-अन्य प्राप्तियां में (10) के स्थान पर 118 सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्तियां फीस हेतु निर्धारित मद में जमा कराने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ. 11-37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2006
3-11-06

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त विभागाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश.

विषय .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन.

सन्दर्भ.—विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2006 एवं 8 अगस्त, 2006.

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें, जिनके माध्यम से अधिनियम की धारा 4 के तहत सभी विभागों तथा उनसे संबद्ध लोक प्राधिकारियों को 17 बिंदुओं का मैन्युअल बनाकर उक्त मैन्युअल को समय-समय पर अद्यतन करने हेतु निर्देश दिए गये थे. साथ ही सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी की डायरेक्टरी तैयार कर उसे भी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु निर्देश दिएं गये थे.

2. आरटीआई पोर्टल पर वेबसाइट http://rti.gov.in/ पर मध्यप्रदेश के विभिन्न विभागों के लोक प्राधिकारियों के 17 बिंदुओं के मैन्युअल उपलब्ध हैं. कुछ विभागों/लोक प्राधिकारियों को छोड़कर शेष विभागों/लोक प्राधिकारियों द्वारा मैन्युअल तैयार करने के बाद उसका कोई अपडेशन नहीं किया है. अत: तत्काल संदर्भित पत्रों के द्वारा जारी निर्देशों के परिप्रेक्ष्य में उपरोक्त जानकारी का अपडेशन किया जाए. साथ ही इसी वेबसाइट पर लोक सूचना अधिकारी की लिंक भी है. इस लिंक पर विभाग अंतर्गत नामांकित सहायक लोक सूचना अधिकारी/लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी की सूची अपलोड की जाए.

3. विभागों से यह भी अपेक्षा की गई थी कि विभाग अधीनस्थ कार्यालयों में आवेदनों के निराकरण की भी समीक्षा करेंगे एवं त्रैमासिक प्रतिवेदन इस विभाग को प्रेषित करेंगे. इस संबंध में भी विभागों से जानकारी प्राप्त नहीं हो रही है. अत: संदर्भित पत्रों के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में जानकारी प्रेषित की जाए. कुछ विभागाध्यक्ष कार्यालयों/अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जानकारी सीधे इस विभाग को प्रेषित की जा रही है, जिसकी आवश्यकता नहीं है. संबंधित विभाग जानकारी को संकलित कर एकजाई जानकारी ही इस विभाग को प्रेषित करें.

4. कृपया उक्त निर्देशों का पालन किया जाना सुनिश्चित करें.

हस्ता./-
(खुशीराम)
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ 11-37/2005/एक/9

भोपाल, दिनांक 31 अक्टूबर, 2006
3-11-06

प्रतिलिपि .—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल,
9. सचिव, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, भोपाल,
10. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ ग्वालियर/इंदौर,
12. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
13. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
14. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, विंध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी क्रियान्वयन के संबंध में निम्नानुसार निर्देश दिए जाते हैं .—

1. **लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी के दायित्व —**

1.1 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (5) (2) के अंतर्गत उप खण्ड/अनुविभाग स्तर पर सहायक लोक सूचना अधिकारी को नामांकित करने का प्रावधान किया गया है, जिनका मुख्य कार्य इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिये प्राप्त आवेदन-पत्र/अपील को संबंधित लोक सूचना अधिकारी/प्रथम अपीलीय प्राधिकारी/राज्य सूचना आयोग को भेजना है.

1.2 शासन की जानकारी में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें सहायक लोक सूचना अधिकारियों द्वारा आवेदन-पत्रों का निराकरण किया जा रहा है तथा लोक सूचना अधिकारी इस प्रकार निराकृत प्रकरणों में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्यवाही कर रहे हैं, जो कि उचित नहीं है एवं इस तरह की कार्यवाही पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाई जाए.

1.3 ऐसे कार्यालय जहां लोक सूचना अधिकारी के साथ-साथ सहायक लोक सूचना अधिकारी भी नामांकित हैं, वहां सहायक लोक सूचना अधिकारी आवेदन-पत्रों के निराकरण से संबंधित प्रक्रिया में लोक सूचना अधिकारी की सहायता कर सकते हैं, परंतु सभी अभिलेख लोक सूचना अधिकारी के नाम से संधारित रहेंगे तथा आवेदनों पर निर्णय लेने की कार्यवाही लोक सूचना अधिकारी के स्तर से ही की जाएगी.

1.4 लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय प्राधिकारी के प्रवास/अवकाश पर मुख्यालय से बाहर रहने की अवधि में अधिनियम के अधीन प्राप्त आवेदन/अपील प्रकरणों के निराकरण हेतु स्पष्ट व्यवस्था बनायी जाए, जिससे कि आवेदक/अपीलार्थी को किसी प्रकार की परेशानी न हो.

2. **आवेदन-पत्रों एवं अपील प्रकरणों का निराकरण —**

2.1 शासन की जानकारी में कुछ ऐसे प्रकरण आये हैं, जिनमें लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा आवेदन/अपील प्रकरणों को प्रशासकीय प्रकरण मानकर उनका निराकरण किया गया है. कुछ अपीलीय प्रकरणों में, अपीलीय

प्राधिकारी द्वारा आदेश पारित नहीं किये गये हैं एवं नोटशीट पर दिए गये निर्देशों के तारतम्य में अधीनस्थ अधिकारी द्वारा संबंधित लोक सूचना अधिकारी को कार्यवाही के निर्देश दिए गये हैं.

2.2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जानकारी के लिए प्रस्तुत आवेदन अथवा अपील का निराकरण अर्द्धन्यायिक प्रक्रिया के अंतर्गत आता है एवं लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी को इस संबंध में अपने हस्ताक्षर से स्पष्ट आदेश (Speaking Order) पारित करना है. आदेश में अधिनियम की धाराओं एवं उन कारणों को स्पष्ट किया जाना चाहिए, जिनके आधार पर जानकारी देना अस्वीकार किया गया है. साथ ही लोक सूचना अधिकारी/विभागीय अपीलीय प्राधिकारी द्वारा अपने आदेश में प्रथम/द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी के नाम एवं पते का उल्लेख करते हुए आवेदक/अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाना है कि उनके द्वारा कितनी अवधि में अपील की जा सकती है.

कृपया उपरोक्त निर्देशों का कड़ाई से पालन किया जाना सुनिश्चित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ 11-37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 25 जुलाई, 2006

प्रतिलिपि .—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,.
7. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ ग्वालियर/इंदौर,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
14. आयुक्त, जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
15. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, विंध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर, 2006

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन.

राज्य शासन के ध्यान में लाया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्राप्त आवेदनों में कुछ ऐसे आवेदन भी आये हैं, जिनमें आवेदकों द्वारा लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के विरुद्ध चल रहे प्रकरण से संबंधित जानकारी चाही गई है. इस तरह के आवेदनों में संबंधित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी द्वारा कोई निर्णय लिया जाना नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होगा.

उपरोक्त तथ्य को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन द्वारा निर्णय लिया गया है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त ऐसे आवेदन विशेष, जिनमें संबंधित लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय प्राधिकारी के विरुद्ध चल रहे प्रकरणों की जानकारी चाही गई है, उनके निराकरण हेतु विभाग के समकक्ष अन्य किसी अधिकारी को उस प्रकरण विशेष के लिए लोक सूचना अधिकारी/ अपीलीय प्राधिकारी नामांकित किया जाए.

हस्ता./-
(अखिलेश अर्गल)
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ 11-37/2005/एक/9 भोपाल, दिनांक 2 सितम्बर, 2006

प्रतिलिपि .—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर,
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल,
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल,
7. सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,

8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल,
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल,
10. सचिव, मध्यप्रदेश सूचना आयोग, भोपाल,
11. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल,
12. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर/खंडपीठ ग्वालियर/इंदौर,
13. प्रमुख सचिव/सचिव/अपर सचिव/उप सचिव/अवर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,
14. आयुक्त,- जनसंपर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल,
15. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल,
16. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, विंध्याचल भवन, मध्यप्रदेश, भोपाल,

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
अपर सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-38/06/1-9 भोपाल, दिनांक 31-7-2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
मध्यप्रदेश.

विषय .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन.

म. प्र. राज्य सूचना आयोग स्तर पर प्राप्त अपीलों एवं शिकायतों की सुनवाई से यह स्पष्ट हुआ है कि आम नागरिकों को यह जानकारी नहीं है कि किस कार्यालय में कौनसा अधिकारी लोक सूचना अधिकारी है एवं कौनसा अधिकारी अपीलीय अधिकारी है. कई बार आवेदकों द्वारा आयोग से इस विषयक जानकारी प्रदान करने का निवेदन किया गया है.

2. अतएव आयोग के सुझाव के परिपालन में निर्देशानुसार अनुरोध है कि संभागायुक्त, जिलाध्यक्ष एवं अनुविभागीय अधिकारी स्तर पर उनके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाले समस्त कार्यालयों की उक्त विषयक जानकारी संकलित कर कार्यालयीन नोटिस बोर्ड पर एवं कार्यालय के अधीक्षक स्तर पर रखी जा कर इसका व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये, ताकि आवेदकों को आवेदन देने में असुविधा न हो.

हस्ता./-
(डी. एस. राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-38/06/1-9 भोपाल, दिनांक 31-7-2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागयुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का क्रियान्वयन.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रभावी एवं सुचारू रूप से क्रियान्वयन हेतु यह आवश्यक है कि प्रत्येक कार्य के संबंध में स्पष्ट कार्य वितरण आदेश हो, जिससे प्रत्येक कर्मचारी एवं अधिकारी का कार्यालय के संबंध में उत्तरदायित्व निर्धारित हो सके. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) बी (एफ) के अंतर्गत यह आवश्यक है कि कार्य वितरण आदेश उपलब्ध हो. इसके अतिरिक्त जब किसी कर्मचारी/अधिकारी का स्थानांतरण होता है, तो नियमित रूप से पदभार ग्रहण करने एवं निवृत्त करने के संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जाये और यदि कोई रिकार्ड किसी अधिकारी या कर्मचारी के पास होता है, तो उसको अपने उत्तराधिकारी कर्मचारी या अधिकारी को दिया जाये एवं इसकी अभिस्वीकृति रखी जाये.

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 में किये गये प्रावधान अनुसार प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा अनिवार्यतः अंपने कार्यालय में रखे गए सभी अभिलेखों को व्यवस्थित ढंग से सूची बनाकर रखा जाना है, जिससे वह आसानी से उपलब्ध हो सके. अभिलेखों के रखने के संबंध में यदि कोई नियम नहीं बनाए गए हों तो नियम बना लिए जायें. अभिलेखों के विनिष्टीकरण की प्रक्रिया यदि निर्धारित न हो, तो निर्धारित कर उसका पालन सुनिश्चित कराया जाये. लोक प्राधिकारी अभिलेखों के सूचकांक की समीक्षा कर यह सुनिश्चित करें कि अभिलेखों के सूचकांक अद्यतन हैं. साथ ही अभिलेखों को रखने के नियमों का पुनरावलोकन करके उन्हें सूचना का अधिकार अधिनियम की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर अद्यतन किया जाकर उनका प्रकाशन जन-सामान्य को सूचित करने के लिए किया जाये, जिससे कि किसी व्यक्ति को सूचना प्राप्त करने में कठिनाई न हो.

हस्ता./-
(डी. एस. राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक एफ 11-38/06/1-9 भोपाल, दिनांक 31-7-2007

प्रतिलिपि .—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,

3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेशष भोपाल.
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल.
10. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर.
12. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
13. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
14. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(डी. एस. राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांक 64/365/सूअप्र/07/1-9 भोपाल, दिनांक 8-8-2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4 (1) बी के अनुसार राज्य शासन के समस्त विभागों, विभागाध्यक्षों, अधीनस्थ उपक्रमों, निगमों, मंडलों एवं लोक प्राधिकारी की परिभाषा में आने वाले समस्त कार्यालयों द्वारा 17 बिन्दुओं के मेन्युअल का प्रकाशन करते हुए, इसे वेबसाइट पर भी अपलोड कराया जाना है. अतएव उक्त अधिनियम की धारा 4 (1) बी, धारा 4 (1) सी, धारा 4 (1) डी तथा 4 (2), (3) एवं 4 (4) के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए पूरे विभाग की एकजाई जानकारी दिनांक 5-8-2007 तक महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल को भिजवाते हुए प्रति इस विभाग को भी उपलब्ध कराने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(डी. एस. राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

पृ. क्रमांक 64/365/सूअप्र/07/1-9 भोपाल, दिनांक 8-8-2007

प्रतिलिपि .—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर.
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर.
4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राजभवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल.
10. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर.
12. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
13. आयुक्त जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
14. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(डी. एस. राय)
सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग.

मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
(सूचना अधिकार प्रकोष्ठ)
मंत्रालय

क्रमांक एफ 11-9/2005/सूअप्र/1-9 भोपाल, दिनांक 8-8-2007

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, म. प्र. ग्वालियर,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त संभागायुक्त,
समस्त कलेक्टर,
समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत,
मध्यप्रदेश.

विषय .—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का प्रभावी क्रियान्वयन.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत सूचना तक पहुंच हेतु क्षमता संवर्धन परियोजना के लिए राज्य शासन द्वारा गठित स्टेयरिंग कमेटी की बैठक दिनांक 2 जून, 2007 को महानिदेशक, आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई. उक्त बैठक में निम्नानुसार अनुशंसायें की गई हैं .—

1. जिलों के विभिन्न विभागों के बजट संबंधी जानकारी से आम जनता को अवगत कराने के लिए विभाग द्वारा बजट एवं अन्य जानकारी वेबसाईट पर प्रकाशित कराई जाये.

2. प्रदेश की शिक्षण संस्थाएं जैसे- महाविद्यालयों, विद्यालयों में सूचना के अधिकार पर संगोष्ठियां आयोजित की जायें.

3. विभागों के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षणों में आधे दिन का प्रशिक्षण सूचना का अधिकार विषयवस्तु पर हो. इसके लिए विभाग के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित कराया जाये.

कृपया उक्त अनुशंसाओं पर कार्यवाही सुनिश्चित कराकर महानिदेशक प्रशासन अकादमी एवं इस विभाग को भी सूचित करने का कष्ट करें.

हस्ता./-
(डॉ. अरुणा गुप्ता)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग-9, मंत्रालय.

पृ. क्रमांक एफ 11-9/2005/सूअप्र/1-9 भोपाल, दिनांक 8-8-2007

प्रतिलिपि .—

1. रजिस्ट्रार जनरल, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर,
2. सचिव, लोकायुक्त, मध्यप्रदेश, भोपाल,
3. सचिव, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इंदौर.

4. महानिदेशक, प्रशासन अकादमी, मध्यप्रदेश, भोपाल के अ.शा.पत्र क्र. 4410/अका/आरकेएस/2007, दिनांक 7-7-2007 के तारतम्य में.
5. राज्यपाल के सचिव, मध्यप्रदेश राज़भवन, भोपाल.
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय, भोपाल.
7. प्रमुख सचिव/सचिव, मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
8. मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी, मध्यप्रदेश, भोपाल.
9. सचिव, मध्यप्रदेश निर्वाचन आयोग, भोपाल.
10. अध्यक्ष, व्यवसायिक परीक्षा मण्डल, मध्यप्रदेश, भोपाल.
11. महाधिवक्ता/उप महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खंडपीठ इंदौर/ग्वालियर/जबलपुर.
12. मुख्य सचिव के अपर सचिव, मंत्रालय, भोपाल.
13. आयुक्त, जनसम्पर्क संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल.
14. संचालक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, मध्यप्रदेश, भोपाल.

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित.

हस्ता./-
(डॉ. अरुणा गुप्ता)
उप सचिव,
मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग-9, मंत्रालय.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 426 भोपाल, गुरुवार, दिनांक 30 अगस्त 2007—
भाद्र 8, शक 1929 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग

(सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ)

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 30 अगस्त 2007

क्र. एफ. 11-39-2005-एक-9-सू.अ.प्र.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का 22) की धारा 24 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 11-39-2005-एक-9, दिनांक 13 अक्टूबर 2005 जो "मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण)", दिनांक 13 अक्टूबर 2005 में प्रकाशित की गई थी, को अतिष्ठित करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित गुप्तचर एवं सुरक्षा एजेंसियों को, उक्त अधिनियम के उपबंधों को लागू करने से अपवर्जित करती है, अर्थात्.—

(1) विशेष शाखा (पुलिस मुख्यालय),
(2) मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग की शाखा "सी",
(3) सी. आई. डी. (केवल गुप्तचर एवं सुरक्षा से संबंधित विषयों के लिए),
(4) विशेष सशस्त्र बल (एस. ए. एफ.).

No. F. 11-39-2005-I-9-RTI.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of the Section 24 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005) and in supersession of this Department's Notification No. F-11-39-2005-F-9, dated 13th October 2005 which was published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)", dated 13th October 2005, State Government hereby excludes the following intelligence and security agencies from the application of the provisions of the said Act namely:—

(1) Special Branch (Police Headquarter),
(2) "C" Section of Home Department of the Government of Madhya Pradesh,
(3) C. I. D. (Only for matters, related to intelligence and security),
(4) Special Armed Forces (S. A. F.).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

डी. एस. राय, सचिव.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

सं. 4] नई दिल्ली गुरुवार, 13 अक्टूबर, 2005/21 आश्विन, 1927 (शक) [खण्ड XXXIX

No. 4] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 13, 2005/ASVINA 21, 1927 (SAKA) [VOL. XXXIX

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके.

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2004/21 आश्विन, 1927 (शक)

दि स्पेशल ट्रिब्यूनल्स (सप्लीमेंटरी प्रोविजन्स) रिपील ऐक्ट, 2004; (2) दि गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज एण्ड दि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ देहली (अमेंडमेंट) एक्ट 2005; और (3) दि राइट टू इनफार्मेशन ऐक्ट, 2005 के निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद राष्ट्रपति के प्राधिकार से प्रकाशित किये जाते हैं और ये राजभाषा अधिनियम, 1963 (1963 का 19) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन उनके हिन्दी में प्राधिकृत पाठ समझे जाएंगे.—

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

—New Delhi, October 13, 2005/Asvina 21, 1927 (Saka)

The translation in Hindi of the following, namely:—(1) The Special Tribunals (Supplementary Provisions) Repeal Act, 2004; (2) The Government of Union Territories and the Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Act, 2005; and (3) The Right to Information Act, 2005 are hereby published under the authority of the President and shall be deemed to be the authoritative texts thereof in Hindi under clause (a) of sub-section (1) of Section 5 of the Official Languages Act, 1963 (19 of 1963).

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(2005 का अधिनियम संख्यांक 22)

[15 जून, 2005]

प्रत्येक लोक प्राधिकारी के कार्यकरण में पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियंत्रणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्धति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे संबंधित या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबंध करने के लिए अधिनियम

भारत के संविधान के लोकतंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की है;

और लोकतंत्र शिक्षित नागरिक वर्ग तथा ऐसी सूचना की पारदर्शिता की अपेक्षा करता है, जो उसके कार्यकरण तथा भ्रष्टाचार को रोकने के लिये भी और सरकारों तथा उनके परिकरणों को शासन के प्रति उत्तरदायी बनाने के लिए अनिवार्य है;

और वास्तविक व्यवहार में सूचना के प्रकटन से संभवत: अन्य लोक हितों, जिनके अन्तर्गत सरकारों के दक्ष प्रचालन, सीमित राज्य वित्तीय संसाधनों के अधिकतम उपयोग और संवेदनशील सूचना की गोपनीयता को बनाए रखना भी है, के साथ विरोध हो सकता है;

और लोकतंत्रात्मक आदर्श की प्रभुता को बनाए रखते हुए इन विरोधी हितों के बीच सामंजस्य बनाना आवश्यक है;

अत:, अब यह समीचीन है कि ऐसे नागरिकों को, कतिपय सूचना देने के लिए जो उसे पाने के इच्छुक हैं, उपबंध किया जाए;

भारत गणराज्य के छप्पनवें वर्ष में संसद् द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो.—

अध्याय 1

प्रारम्भिक

संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारंभ.

1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 है.

(2) इसका विस्तार जम्मू-कश्मीर राज्य के सिवाय सम्पूर्ण भारत पर है.

(3) धारा 4 की उपधारा (1), धारा 5 की उपधारा (1) और उपधारा (2), धारा 12, धारा 13, धारा 15, धारा 16, धारा 24, धारा 27, और धारा 28 के उपबंध तुरन्त प्रभावी होंगे और इस अधिनियम के शेष उपबंध इसके अधिनियमन के एक सौ बीसवें दिन को प्रवृत्त होंगे.

परिभाषाएं

2. इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) ''समुचित सरकार'' से किसी ऐसे लोक प्राधिकरण के संबंध में जो—

(i) केन्द्रीय सरकार या संघ राज्यक्षेत्र द्वारा स्थापित, गठित, उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, केन्द्रीय सरकार अभिप्रेत है;

(ii) राज्य सरकार द्वारा स्थापित, गठित उसके स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित किया जाता है, राज्य सरकार अभिप्रेत है;

(ख) ''केन्द्रीय सूचना आयोग'' से धारा 12 की उपधारा (1) के अधीन गठित केन्द्रीय सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ग) ''केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी'' से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन इस प्रकार पदाभिहित कोई केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(घ) ''मुख्य सूचना आयुक्त'' और ''सूचना आयुक्त'' से धारा 12 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) ''सक्षम प्राधिकारी'' से अभिप्रेत है—

(i) लोक सभा या किसी राज्य की विधान सभा की या किसी ऐसे संघ राज्यक्षेत्र की, जिसमें ऐसी सभा है, दशा में अध्यक्ष और राज्य सभा या किसी राज्य की विधान परिषद् की दशा में सभापति;

(ii) उच्चतम न्यायालय की दशा में भारत का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iii) किसी उच्च न्यायालय की दशा में उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायमूर्ति;

(iv) संविधान द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित अन्य प्राधिकरणों की दशा में, यथास्थिति, राष्ट्रपति या राज्यपाल;

(v) संविधान के अनुच्छेद 239 के अधीन नियुक्त प्रशासक;

(च) ''सूचना'' से किसी इलेक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई-मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक, संविदा, रिपोर्ट कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकड़ों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से संबंधित ऐसी सूचना सहित, जिस तक तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है;

(छ) ''विहित'' से, यथास्थिति, समुचित सरकार या सक्षम प्राधिकारी द्वारा अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(ज) "लोक प्राधिकारी" से,—

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन;

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(ग) राज्य विधान मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा;

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा, स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है,

और इसके अन्तर्गत,—

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है;

(ii) कोई ऐसा गैर-सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार,

द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है.

(झ) "अभिलेख" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं—

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल;

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म, माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रति;

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरुत्पादन (चाहे वर्धित रूप में हो या न हो); और

(घ) किसी कम्प्यूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्री;

(ञ) "सूचना का अधिकार" से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का, जो किसी लोक प्राधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है—

(i) कृति, दस्तावेजों, अभिलेखों का निरीक्षण;

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना;

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना;

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलेक्ट्रानिक रीति में या प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को, जहां ऐसी सूचना किसी कम्प्यूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है, अभिप्राप्त करना;

(ट) "राज्य सूचना आयोग" से धारा 15 की उपधारा (1) के अधीन गठित राज्य सूचना आयोग अभिप्रेत है;

(ठ) "राज्य मुख्य सूचना आयुक्त" और "राज्य सूचना आयुक्त" से धारा 15 की उपधारा (3) के अधीन नियुक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त अभिप्रेत है;

(ङ) "राज्य लोक सूचना अधिकारी" से उपधारा (1) के अधीन पदाभिहित राज्य लोक सूचना अधिकारी अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत धारा 5 की उपधारा (2) के अधीन उस रूप में पदाभिहित राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी भी है;

(ढ) "पर व्यक्ति" से सूचना के लिए अनुरोध करने वाले नागरिक से भिन्न कोई व्यक्ति अभिप्रेत है और इसके अन्तर्गत कोई लोक प्राधिकारी भी है.

अध्याय 2

सूचना का अधिकार और लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं

सूचना का अधिकार.

3. इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, सभी नागरिकों को सूचना का अधिकार होगा.

लोक प्राधिकारियों की बाध्यताएं.

4. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी—

(क) अपने सभी अभिलेखों को सम्यक्‌रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमणिकाबद्ध ऐसी रीति और रूप में रखेगा, जो इस अधिनियम के अधीन सूचना के अधिकार को सुकर बनाता है और सुनिश्चित करेगा कि ऐसे सभी अभिलेख, जो कम्प्यूटरीकृत किए जाने के लिए समुचित है, युक्तियुक्त समय के भीतर और संसाधनों की उपलभ्यता के अधीन रहते हुए, कम्प्यूटरीकृत और विभिन्न प्रणालियों पर सम्पूर्ण देश में नेटवर्क के माध्यम से संबद्ध हैं जिससे कि ऐसे अभिलेख तक पहुंच को सुकर बनाया जा सके;

(ख) इस अधिनियम के अधिनियमन से एक सौ बीस दिन के भीतर,—

(i) अपने संगठन की विशिष्टियां, कृत्य और कर्तव्य;

(ii) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियां और कर्तव्य;

(iii) विनिश्चय करने की प्रक्रिया में पालन की जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित हैं;

(iv) अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमान;

(v) अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किए गए नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख;

(vi) ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियंत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरण;

(vii) किसी व्यवस्था की विशिष्टियां, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के संबंध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिये या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं;

(viii) ऐसे बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के, जिनमें दो या अधिक व्यक्ति हैं, जिनका उसके भागरूप में या इस बारे में सलाह देने के प्रयोजन के लिये गठन

किया गया है और इस बारे में कि क्या उन बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों की बैठकें जनता के लिए खुली होंगी या ऐसी बैठकों के कार्यवृत्त तक जनता की पहुंच होगी, विवरण;

(ix) अपने अधिकारियों और कर्मचारियों की निर्देशिका;

(x) अपने प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक, जिसके अन्तर्गत प्रतिकर की प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथाउपबंधित हो;

(xi) सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किए गए संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियां उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट;

(xii) सहायिकी कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के फायदाग्राहियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं;

(xiii) अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञापत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियां;

(xiv) किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के संबंध में ब्यौरे, जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों;

(xv) सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियां, जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के, यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घंटे सम्मिलित हैं;

(xvi) लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियां;

(xvii) ऐसी अन्य सूचना, जो विहित की जाए,

प्रकाशित करेगा और तत्पश्चात् इन प्रकाशनों को प्रत्येक वर्ष में अद्यतन करेगा;

(ग) महत्वपूर्ण नीतियों की विरचना करते समय या ऐसे विनिश्चयों की घोषणा करते समय, जो जनता को प्रभावित करते हों, सभी सुसंगत तथ्यों को प्रकाशित करेगा;

(घ) प्रभारित व्यक्तियों को अपने प्रशासनिक या न्यायिककल्प विनिश्चयों के लिए कारण उपलब्ध कराएगा;

(2) प्रत्येक लोक अधिकारी का निरंतर यह प्रयास होगा कि व उपधारा (1) के खण्ड (ख) की अपेक्षाओं के अनुसार स्वप्रेरणा से, जनता को नियमित अन्तरालों पर संसूचना के विभिन्न साधनों के माध्यम से, जिनके अन्तर्गत इंटरनेट भी है, इतनी अधिक सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपाय करे जिससे कि जनता को सूचना प्राप्त करने के लिए इस अधिनियम का कम से कम अवलंब लेना पड़े.

(3) उपधारा (1) के प्रयोजन के लिए, प्रत्येक सूचना को विस्तृत रूप से और ऐसे प्ररूप और रीति में प्रसारित किया जाएगा, जो जनता के लिए सहज रूप से पहुंच योग्य हो.

(4) सभी सामग्री को, लागत प्रभावशीलता, स्थानीय भाषा और उस क्षेत्र में संसूचना की अत्यंत प्रभावी पद्धति को ध्यान में रखते हुए, प्रसारित किया जाएगा तथा सूचना, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य सूचना अधिकारी के पास इलेक्ट्रानिक रूप में संभव सीमा तक निःशुल्क या माध्यम की ऐसी लागत पर या ऐसी मुद्रण लागत कीमत पर, जो विहित की जाए, सहज रूप से पहुंच योग्य चाहिए.

स्पष्टीकरण—उपधारा (3) और उपधारा (4) के प्रयोजनों के लिए, "प्रसारित" से सूचना पट्टों, समाचार-पत्रों, लोक उद्घोषणाओं, मीडिया प्रसारणों, इंटरनेट या किसी अन्य माध्यम से, जिसमें किसी लोक प्राधिकारी के कार्यालयों का निरीक्षण सम्मिलित है, जनता को सूचना की जानकारी देना या संसूचित कराना अभिप्रेत है.

लोक सूचना अधिकारियों का पदनाम.

5. (1) प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर सभी प्रशासनिक एककों या उसके अधीन कार्यालयों में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों के रूप में उतने अधिकारियों को अभिहित करेगा, जितने इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्तियों को सूचना प्रदान करने के लिए आवश्यक हों.

(2) उपधारा (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रत्येक लोक प्राधिकारी, इस अधिनियम के अधिनियमन के सौ दिन के भीतर किसी अधिकारी को प्रत्येक उपमण्डल स्तर या अन्य उप जिला स्तर पर, यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के रूप में इस अधिनियम के अधीन सूचना के लिए आवेदन या अपील प्राप्त करने और तत्काल, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय सूचना आयोग अथवा राज्य सूचना आयोग को भेजने के लिए, पदाभिहित करेगा:

परन्तु यह कि जहां सूचना या अपील के लिए कोई आवेदन यथास्थिति, किसी केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को दिया जाता है, वहां धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट उत्तर के लिए अवधि की संगणना करने में पांच दिन की अवधि जोड़ दी जाएगी.

(3) यथास्थिति, प्रत्येक केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों के अनुरोधों पर कार्रवाई करेगा और ऐसी सूचना की मांग करने वाले व्यक्तियों को युक्तियुक्त सहायता प्रदान करेगा.

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, ऐसे किसी अन्य अधिकारी की सहायता की मांग कर सकेगा, जिसे वह अपने कृत्यों के समुचित निर्वहन के लिए आवश्यक समझे.

(5) कोई अधिकारी, जिसकी उपधारा (4) के अधीन सहायता चाही गई है, उसकी सहायता चाहने वाले यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को सभी सहायता प्रदान करेगा और इस अधिनियम के उपबंधों के किसी उल्लंघन के प्रयोजनों के लिए ऐसे अन्य अधिकारी को, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी समझा जाएगा.

सूचना अभिप्राप्त करने के लिए अनुरोध.

6. (1) कोई व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन कोई सूचना अभिप्राप्त करना चाहता है, लिखित में या इलेक्ट्रानिक युक्ति के माध्यम से अंग्रेजी या हिन्दी में या उस क्षेत्र की जिसमें आवेदन किया जा रहा है, राजभाषा में ऐसी फीस के साथ, जो विहित की जाए,—

(क) संबंधित लोक प्राधिकरण के यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी;

(ख) यथास्थिति, केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी,

को उसके द्वारा मांगी गई सूचना की विशिष्टियां विनिर्दिष्ट करते हुए अनुरोध करेगा:

परन्तु जहां ऐसा अनुरोध लिखित में नहीं किया जा सकता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को सभी युक्तियुक्त सहायता मौखिक रूप से देगा, जिससे कि उसे लेखबद्ध किया जा सके.

(2) सूचना के लिए अनुरोध करने वाले आवेदक से सूचना का अनुरोध करने के लिए किसी कारण को या किसी अन्य व्यक्तिगत ब्यौरे को, सिवाय उसके जो उससे संपर्क करने के लिए आवश्यक हों, देने की अपेक्षा नहीं की जाएगी.

(3) जहां, कोई आवेदन किसी लोक प्राधिकारी को किसी ऐसी सूचना के लिए अनुरोध करते हुए किया जाता है,—

(i) जो किसी अन्य लोक प्राधिकारी द्वारा धारित है; या

(ii) जिसकी विषय-वस्तु किसी अन्य लोक प्राधिकारी के कृत्यों से अधिक निकट रूप से संबंधित है,

वहां, वह लोक प्राधिकारी, जिसको ऐसा आवेदन किया जाता है, ऐसे आवेदन या उसके ऐसे भाग को, जो समुचित हो, उस अन्य लोक प्राधिकारी को अंतरित करेगा और ऐसे अंतरण के बारे में आवेदक को तुरंत सूचना देगा:

परन्तु यह कि इस उपधारा के अनुसरण में किसी आवेदन का अंतरण यथासाध्य शीघ्रता से किया जाएगा, किन्तु किसी भी दशा में आवेदन की प्राप्ति की तारीख से पांच दिनों के पश्चात् नहीं किया जायेगा.

अनुरोध का निपटारा.

7. (1) धारा 5 की उपधारा (2) के परन्तुक या धारा 6 की उपधारा (3) के परन्तुक के अधीन रहते हुए, धारा 6 के अधीन अनुरोध के प्राप्त होने पर, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, यथा संभवशीघ्रता से, और किसी भी दशा में अनुरोध की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर ऐसी फीस के संदाय पर, जो विहित की जाए, या तो सूचना उपलब्ध कराएगा या धारा 8 और धारा 9 में विनिर्दिष्ट कारणों में से किसी कारण से अनुरोध को अस्वीकार करेगा:

परन्तु जहां मांगी गई जानकारी का संबंध किसी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता से है, वहां वह अनुरोध प्राप्त होने के अड़तालीस घंटे के भीतर उपलब्ध कराई जाएगी.

(2) यदि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर सूचना के लिये अनुरोध पर विनिश्चय करने में असफल रहता है तो, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के बारे में यह समझा जाएगा कि उसने अनुरोध को नामंजूर कर दिया है.

(3) जहां सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में किसी और फीस के संदाय पर सूचना उपलब्ध कराने का विनिश्चय किया जाता है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,—

(क) उसके द्वारा यथा अवधारित सूचना उपलब्ध कराने की लागत के रूप में और फीस के ब्यौरे, जिनके साथ उपधारा (1) के अधीन विहित फीस के अनुसार रकम निकालने के लिए की गई संगणनाएं होंगी, देते हुए, उससे उस फीस को जमा करने का अनुरोध करते हुए कोई संसूचना भेजेगा और उक्त संसूचना के प्रेषण और फीस के संदाय के बीच मध्यवर्ती अवधि को उस धारा में निर्दिष्ट तीस दिन की अवधि की संगणना करने के प्रयोजन के लिए अपवर्जित किया जाएगा;

(ख) प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराई गई पहुंच के प्ररूप के बारे में जिसके अन्तर्गत अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां समय-सीमा, प्रक्रिया और कोई अन्य प्ररूप भी हैं, विनिश्चय करने का पुनर्विलोकन करने के संबंध में उसके अधिकार से संबंधित सूचना देते हुए, कोई संसूचना भेजेगा.

(4) जहां, इस अधिनियम के अधीन अभिलेख या उसके किसी भाग तक पहुंच अपेक्षित है और ऐसा व्यक्ति जिसको पहुंच उपलब्ध कराई जानी है. संवेदनात्मक रूप से नि:शक्त है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना तक पहुंच को समर्थ बनाने के लिए सहायता उपलब्ध कराएगा जिसमें निरीक्षण के लिए ऐसी सहायता करना भी सम्मिलित है, जो समुचित हो.

(5) जहां, सूचना तक पहुंच मुद्रित या किसी इलेक्ट्रानिक रूपविधान में उपलब्ध करायी जानी है, वहां आवेदक, उपधारा (6) के अधीन रहते हुए, ऐसी फीस का संदाय करेगा, जो विहित की जाए:

परन्तु धारा 6 की उपधारा (1) और धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन विहित फीस युक्तियुक्त होगी और ऐसे व्यक्तियों से, जो गरीबी की रेखा के नीचे हैं, जैसा समुचित सरकार द्वारा अवधारित किया जाए, कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी.

(6) उपधारा (5) में किसी बात के होते हुए भी, जहां कोई लोक प्राधिकारी उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट समय-सीमा का अनुपालन करने में असफल रहता है, वहां सूचना के लिए अनुरोध करने वाले व्यक्ति को प्रभार के बिना सूचना उपलब्ध कराई जाएगी.

(7) उपधारा (1) के अधीन कोई विनिश्चय करने के पूर्व, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 11 के अधीन पर व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन को ध्यान में रखेगा.

(8) जहां, किसी अनुरोध को उपधारा (1) के अधीन अस्वीकृत किया गया है, वहां, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध करने वाले व्यक्ति को,—

(i) ऐसी अस्वीकृति के लिए कारण;
(ii) वह अवधि, जिसके भीतर ऐसी अस्वीकृति के विरुद्ध कोई अपील की जा सकेगी; और
(iii) अपील प्राधिकारी की विशिष्टियां,

संसूचित करेगा.

(9) किसी सूचना को साधारणतया उसी प्ररूप में उपलब्ध कराया जाएगा, जिसमें उसे मांगा गया है, जब तक कि वह लोक प्राधिकारी के स्त्रोतों को अननुपाती रूप से विचलित न करता हो या प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा या संरक्षण के प्रतिकूल न हो.

सूचना के प्रकट किए जाने से छूट.

(8) (1) इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, व्यक्ति को निम्नलिखित सूचना देने की बाध्यता नहीं होगी—

(क) सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो, या किसी अपराध को करने का उद्दीपन होता हो;

(ख) सूचना, जिसके प्रकाश को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय का अवमान होता है;

(ग) सूचना, जिसके प्रकटन से संसद या किसी राज्य के विधान मण्डल के विशेषाधिकार का भंग कारित होगा;

(घ) सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी पर व्यक्ति की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(ङ) किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;

(च) किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना;

(छ) सूचना जिसकी प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्त्रोत की पहचान करेगा;

(ज) सूचना, जिससे अपराधियों के अन्वेषण पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी;

(झ) मंत्रिमण्डल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेक सम्मिलित हैं:

परन्तु यह कि मंत्रिपरिषद् के विनिश्चय, उनके कारण तथा वह सामग्री जिसके आधार पर विनिश्चय किए गए थे, विनिश्चय किए जाने और विषय के पूरा या समाप्त होने के पश्चात् जनता को उपलब्ध कराए जाएंगे:

परन्तु यह और कि वे विषय जो इस धारा में विनिर्दिष्ट छूटों के अन्तर्गत आते हैं, प्रकट नहीं किए जाएंगे;

(ञ) सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक क्रियाकलाप या हित से संबंध नहीं रखता है या जिससे व्यष्टि की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण होगा, जब तक कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपील प्राधिकारी का यह समाधान नहीं हो जाता है कि ऐसी सूचना का प्रकटन विस्तृत लोक हित में न्यायोचित है:

परन्तु ऐसी सूचना के लिए, जिसको, यथास्थिति, संसद या किसी विधान मण्डल को देने से इंकार नहीं किया सकता है, किसी व्यक्ति को इंकार नहीं किया जा सकेगा.

(2) शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 में, उपधारा (1) के अनुसार अनुज्ञेय किसी छूट में किसी बात के होते हुए भी, किसी लोक प्राधिकारी को सूचना तक पहुंच अनुज्ञात की जा सकेगी, यदि सूचना के प्रकटन में लोक हित, संरक्षित हितों के नुकसान से अधिक है. 1923 का 19.

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क), खण्ड (ग) और खण्ड (झ) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, किसी ऐसी घटना, वृत्तांत या विषय से संबंधित कोई सूचना, जो उस तारीख से, जिसको धारा 6 के अधीन कोई अनुरोध किया जाता है, बीस वर्ष पूर्व घटित हुई थी या हुआ था, उस धारा के अधीन अनुरोध करने वाले किसी व्यक्ति को उपलब्ध कराई जाएगी:

परन्तु यह कि जहां उस तारीख के बारे में, जिससे बीस वर्ष की उक्त अवधि को संगणित किया जाता है, कोई प्रश्न उद्भूत होता है, वहां इस अधिनियम में उसके लिए उपबंधित प्रायिक अपीलों के अधीन रहते हुए केन्द्रीय सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा.

कतिपय मामलों में पहुंच के लिए अस्वीकृति के आधार.

9. धारा 8 के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, यथास्थिति, कोई केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या कोई राज्य लोक सूचना अधिकारी सूचना के किसी अनुरोध को वहां अस्वीकार कर सकेगा जहां पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ऐसा अनुरोध राज्य से भिन्न किसी व्यक्ति के अस्तित्वयुक्त प्रतिलिप्यधिकार का उल्लंघन अन्तर्वलित करेगा.

पृथक्करणीयता.

10. (1) जहां सूचना तक पहुंच के अनुरोध को इस आधार पर अस्वीकार किया जाता है कि वह ऐसी सूचना के संबंध में है जो प्रकट किये जाने से छूट प्राप्त है वहां इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, पहुंच अभिलेख के उस भाग तक उपलब्ध करायी जा सकेगी जिसमें कोई ऐसी सूचना अन्तर्विष्ट नहीं है, जो इस अधिनियम के अधीन प्रकट किए जाने से छूट प्राप्त है और जो किसी ऐसे भाग से, जिसमें छूट प्राप्त सूचना अन्तर्विष्ट है, युक्तियुक्त रूप से पृथक्की जा सकती है.

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन अभिलेख के किसी भाग तक पहुंच अनुदत्त की जाती है, वहां यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी निम्नलिखित सूचना देते हुए, आवेदक को एक सूचना देगा कि—

(क) अनुरोध किए गए अभिलेख का केवल एक भाग ही, उस अभिलेख से उस सूचना को जो प्रकटन से छूट प्राप्त है पृथक् करने के पश्चात् उपलब्ध कराया जा रहा है;

(ख) विनिश्चय के लिए कारण, जिनके अन्तर्गत तथ्य के किसी महत्वपूर्ण प्रश्न पर उस सामग्री के प्रति, जिस पर वे निष्कर्ष आधारित थे, निर्देश करते हुए कोई निष्कर्ष भी है;

(ग) विनिश्चय करने वाले व्यक्ति का नाम और पदनाम;

(घ) उसके द्वारा संगठित फीस के ब्यौरे और फीस की वह रकम जिसकी आवेदक से निक्षेप करने की अपेक्षा की जाती है; और

(ङ) सूचना के भाग को प्रकट न किए जाने के संबंध में विनिश्चय के पुनर्विलोकन के बारे में उसके अधिकार, प्रभारित फीस की रकम या उपलब्ध कराया गया पहुंच का प्ररूप, जिसके अन्तर्गत, यथास्थिति, धारा 19 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट वरिष्ठ अधिकारी या केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी की विशिष्टियां, समय-सीमा प्रक्रिया और कोई अन्य पहुंच का प्ररूप भी है.

पर व्यक्ति सूचना.

11. (1) जहां, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का इस अधिनियम के अधीन किए गए अनुरोध पर कोई ऐसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, जो किसी पर व्यक्ति से संबंधित है या उसके द्वारा इसका प्रदाय किया

गया है और उस पर व्यक्ति द्वारा उसे गोपनीय माना गया है, वहां यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अनुरोध प्राप्त होने से पांच दिन के भीतर ऐसे पर व्यक्ति को अनुरोध की और इस तथ्य की लिखित रूप में सूचना देगा कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना, अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का उक्त सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग को प्रकट करने का आशय है, और इस बारे में कि सूचना प्रकट की जानी चाहिए या नहीं, लिखित में या मौखिक रूप से निवेदन करने के लिये पर व्यक्ति को आमंत्रित करेगा तथा सूचना के प्रकटन के बारे में कोई विनिश्चय करते समय पर व्यक्ति के ऐसे निवेदन को ध्यान में रखा जाएगा:

परन्तु विधि द्वारा संरक्षित व्यापार या वाणिज्यिक गुप्त बातों की दशा में के सिवाय, यदि ऐसे प्रकटन में लोकहित, ऐसे पर व्यक्ति के हितों की किसी संभावित अपहानि या क्षति से अधिक महत्वपूर्ण है तो प्रकटन अनुज्ञात किया जा सकेगा.

(2) जहां उपधारा (1) के अधीन, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति पर किसी सूचना या अभिलेख या उसके किसी भाग के बारे में किसी सूचना की तामील की जाती है, वहां ऐसे पर व्यक्ति को, ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से दस दिन के भीतर, प्रस्तावित प्रकटन के विरुद्ध अभ्यावेदन करने का अवसर दिया जाएगा.

(3) धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी धारा 6 के अधीन अनुरोध प्राप्त होने के पश्चात् चालीस दिन के भीतर, यदि पर व्यक्ति को उपधारा (2) के अधीन अभ्यावेदन करने का अवसर दे दिया गया है, तो इस बारे में विनिश्चय करेगा कि उक्त सूचना या अभिलेख या उसके भाग का प्रकटन किया जाए या नहीं और अपने विनिश्चय की सूचना लिखित में पर व्यक्ति को देगा.

(4) उपधारा (3) के अधीन दी गई सूचना में यह कथन भी सम्मिलित होगा कि वह पर व्यक्ति, जिसे सूचना दी गई है, धारा 19 के अधीन उक्त विनिश्चय के विरुद्ध अपील करने का हकदार है.

अध्याय 3

केन्द्रीय सूचना आयोग

केन्द्रीय सूचना आयोग का गठन.

12. (1) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, केन्द्रीय सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं.

(2) केन्द्रीय सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) केन्द्रीय सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में केन्द्रीय सूचना आयुक्त, जितने आवश्यक समझे जाएं.

(3) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों की नियुक्ति, राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी समिति की सिफारिश पर की जाएगी—

(i) प्रधानमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) लोक सभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) प्रधानमंत्री द्वारा नामनिर्दिष्ट संघ मंत्रिमण्डल का एक मंत्री.

स्पष्टीकरण—शंकाओं के निवारण के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां लोक सभा में विपक्ष के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां लोक सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्ष का नेता समझा जाएगा.

(4) केन्द्रीय सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंधन, मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी सहायता सूचना आयुक्तों द्वारा की जाएगी और वह ऐसी सभी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे सभी कार्य और बातें कर सकेगा, जिनका केन्द्रीय सूचना आयोग द्वारा स्वतंत्र रूप से इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निदेशों के अधीन रहे बिना प्रयोग किया जा सकता है या जो की जा सकती है.

(5) मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन तथा शासन का व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले जनजीवन में प्रख्यात व्यक्ति होंगे.

(6) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारित नहीं करेगा या किसी राजनैतिक दल से संबद्ध नहीं होगा अथवा कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा.

(7) केन्द्रीय सूचना आयोग का मुख्यालय, दिल्ली में होगा और केन्द्रीय सूचना आयोग, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, भारत में अन्य स्थानों पर कार्यालय स्थापित कर सकेगा.

पदावधि और सेवा शर्तें.

13. (1) सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु यह कि कोई मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा.

(2) प्रत्येक सूचना आयुक्त, उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और ऐसे सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु प्रत्येक सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 12 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि जहां सचूना आयुक्त को मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्त किया जाता है वहां उसकी पदावधि सूचना आयुक्त और मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(3) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति या उनके द्वारा इस निमित प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष, पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार एक शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर हस्ताक्षर करेगा.

(4) मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा:

परन्तु मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को धारा 14 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा.

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें--

(क) मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की हैं;

(ख) सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो निर्वाचन आयुक्त की हैं:

परन्तु यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से, उस पेंशन की, जिसके अन्तर्गत पेंशन का ऐसा कोई भाग, जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर सेवानिवृत्ति फायदों के अन्य रूपों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम में या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कम्पनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है तो मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी:

परन्तु यह भी कि मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उसकी नियुक्ति के पश्चात् उसके अलाभकर रूप में कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

(6) केन्द्रीय सरकार, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी, जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी, जो विहित की जाएं.

सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना.

14. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को राष्ट्रपति के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राष्ट्रपति द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए.

(2) राष्ट्रपति उस मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त को, जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट प्राप्त होने पर राष्ट्रपति द्वारा आदेश पारित किए जाने तक पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो, जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से भी प्रतिषिद्ध कर सकेगा.

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राष्ट्रपति, मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त को आदेश द्वारा पद से हटा सकेगा, यदि यथास्थिति, मुख्य सूचना आयुक्त या सूचना आयुक्त,—

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) वह ऐसे अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राष्ट्रपति की राय में, नैतिक अधमता अन्तर्वलित है; या

(ग) अपनी पदावधि के दौरान, अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) राष्ट्रपति की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय और अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे मुख्य सूचना आयुक्त या किसी सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

(4) यदि मुख्य सूचना आयुक्त या कोई सूचना आयुक्त, किसी प्रकार भारत सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कम्पनी के किसी सदस्य के रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यत: उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा.

अध्याय 4

राज्य सूचना आयोग

राज्य सूचना आयोग का गठन.

15. (1) प्रत्येक राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ..... (राज्य का नाम) सूचना आयोग के नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन करेगी, जो ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कृत्यों का पालन करेगा, जो उसे इस अधिनियम के अधीन सौंपे जाएं.

(2) राज्य सूचना आयोग निम्नलिखित से मिलकर बनेगा—

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त; और

(ख) दस से अनधिक उतनी संख्या में राज्य सूचना आयुक्त, जितने आवश्चक समझे जाएं.

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित से मिलकर बनी किसी समिति की सिफारिश पर की जाएगी,—

(i) मुख्यमंत्री, जो समिति का अध्यक्ष होगा;

(ii) विधान सभा में विपक्ष का नेता; और

(iii) मुख्यमंत्री द्वारा नामनिर्देशित किया जाने वाला मंत्रिमण्डल का सदस्य.

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के प्रयोजनों के लिए यह घोषित किया जाता है कि जहां विधान सभा में विपक्षी दल के नेता को उस रूप में मान्यता नहीं दी गई है, वहां विधान सभा में सरकार के विपक्षी एकल सबसे बड़े समूह के नेता को विपक्षी दल का नेता समझा जाएगा.

(4) राज्य सूचना आयोग के कार्यों का साधारण अधीक्षण, निदेशन और प्रबंध राज्य मुख्य सूचना आयुक्त में निहित होगा, जिसकी राज्य सूचना आयुक्तों द्वारा सहायता की जाएगी और वह सभी ऐसी शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा और सभी ऐसे कार्य और बातें कर सकेगा जो राज्य सूचना आयोग द्वारा इस अधिनियम के अधीन किसी अन्य प्राधिकारी के निर्देशों के अध्यधीन रहे बिना स्वतंत्र रूप से प्रयोग की जा सकती हैं या की जा सकती हैं.

(5) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाजसेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसंपर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे.

(6) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, यथास्थिति, संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान मण्डल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा.

(7) राज्य सूचना आयोग द्वारा मुख्यालय राज्य में ऐसे स्थान पर होगा, जिसे राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे और राज्य सूचना आयोग, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य में अन्य स्थानों पर अपने कार्यालय स्थापित कर सकेगा.

पदावधि और सेवा की शर्तें.

16. (1) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेगा और पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु कोई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के पश्चात् उस रूप में पद धारण नहीं करेगा.

(2) प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है, पांच वर्ष की अवधि के लिए या पैंसठ वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा:

परन्तु प्रत्येक राज्य सूचना आयुक्त, इस उपधारा के अधीन अपना पद रिक्त करने पर, धारा 15 की उपधारा (3) में विनिर्दिष्ट रीति से राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र होगा:

परन्तु यह और कि जहां राज्य सूचना आयुक्त की राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में नियुक्ति की जाती है, वहां उसकी पदावधि राज्य सूचना आयुक्त और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के रूप में कुल मिलाकर पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी.

(3) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपना पद ग्रहण करने से पूर्व राज्यपाल या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किए गए किसी अन्य व्यक्ति के समक्ष पहली अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए उपवर्णित प्ररूप के अनुसार शपथ या प्रतिज्ञान लेगा और उस पर अपने हस्ताक्षर करेगा.

(4) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी भी समय, राज्यपाल को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपने पद का त्याग कर सकेगा :

परन्तु राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को धारा 17 में विनिर्दिष्ट रीति से हटाया जा सकेगा.

(5) संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें—

(क) राज्य मुख्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो किसी निर्वाचन आयुक्त की हैं;

(ख) राज्य सूचना आयुक्त की वही होंगी, जो राज्य सरकार के मुख्य सचिव की हैं:

परन्तु यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के संबंध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अन्तर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे संराशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, रकम को कम कर दिया जाएगा:

परन्तु यह और कि जहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त, अपनी नियुक्ति के समय किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कम्पनी में की गई किसी पूर्व सेवा के संबंध में सेवानिवृत्ति फायदे प्राप्त कर रहा है वहां राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के संबंध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी:

परन्तु यह और कि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्तों और सेवा की अन्य शर्तों में उनकी नियुक्ति के पश्चात् उनके लिए अलाभकारी रूप में परिवर्तन नहीं किया जाएगा.

(6) राज्य सरकार, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों को उतने अधिकारी और कर्मचारी उपलब्ध कराएगी जितने इस अधिनियम के अधीन उनके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों और इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए नियुक्त किए गए अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा सेवा के निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो विहित की जाएं.

राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त का हटाया जाना.

17. (1) उपधारा (3) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को राज्यपाल के आदेश द्वारा साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर उसके पद से तभी हटाया जाएगा, जब उच्चतम न्यायालय ने, राज्यपाल द्वारा उसे किए गए किसी निर्देश पर जांच के पश्चात् यह रिपोर्ट दी हो कि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को उस आधार पर हटा दिया जाना चाहिए.

(2) राज्यपाल, उस राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त को जिसके विरुद्ध उपधारा (1) के अधीन उच्चतम न्यायालय को निर्देश किया गया है, ऐसे निर्देश पर उच्चतम न्यायालय की रिपोर्ट की प्राप्ति पर राज्यपाल द्वारा आदेश पारित किए जाने तक, पद से निलंबित कर सकेगा और यदि आवश्यक समझे तो ऐसी जांच के दौरान कार्यालय में उपस्थित होने से प्रतिसिद्ध भी कर सकेगा.

(3) उपधारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी राज्यपाल, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या किसी राज्य सूचना आयुक्त को, आदेश द्वारा, पद से हटा सकेगा, यदि, यथास्थिति, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त —

(क) दिवालिया न्यायनिर्णीत किया गया है; या

(ख) वह ऐसे किसी अपराध के लिए दोषसिद्ध ठहराया गया है, जिसमें राज्यपाल की राय में नैतिक अधमता अंतर्वलित है; या

(ग) वह अपनी पदावधि के दौरान अपने पद के कर्तव्यों से परे किसी वैतनिक नियोजन में लगा हुआ है; या

(घ) राज्यपाल की राय में, मानसिक या शारीरिक अक्षमता के कारण पद पर बने रहने के अयोग्य है; या

(ङ) उसने ऐसे वित्तीय या अन्य हित अर्जित किए हैं, जिनसे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उसके कृत्यों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है.

(4) यदि राज्य मुख्य सूचना आयुक्त या कोई राज्य सूचना आयुक्त, किसी प्रकार राज्य सरकार द्वारा या उसकी ओर से की गई संविदा या करार से संबद्ध या उसमें हितबद्ध है या किसी निगमित कम्पनी के किसी सदस्य को किसी रूप में से अन्यथा और उसके अन्य सदस्यों के साथ सामान्यत: उसके लाभ में या उससे प्रोद्भूत होने वाले किसी फायदे या परिलब्धियों में हिस्सा लेता है तो वह उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए, कदाचार का दोषी समझा जाएगा.

अध्याय 5

सूचना आयोगों की शक्तियां या और कृत्य, अपील तथा शास्तियां

सूचना आयोगों की शक्तियां और कृत्य.

18. (1) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह निम्नलिखित किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जांच करे,—

(क) जो, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियम के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति केन्द्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी अथवा ज्येष्ठ अधिकारी या यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है;

(ख) जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी तक पहुंच के लिए इंकार कर दिया गया है;

(ग) जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है;

(घ) जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है;

(ङ) जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम-के अधीन अपूर्ण भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है; और

(च) इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुंच प्राप्त करने से संबंधित किसी अन्य विषय के संबंध में.

(2) जहां, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का यह समाधान हो जाता है कि उस विषय में जांच करने के लिए युक्तियुक्त आधार है, वहां वह उसके संबंध में जांच आरंभ कर सकेगा.

(3) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जांच करते समय वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थात्.—

1908 का 5.

(क) किन्हीं व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए और दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिए उनको विवश करना;

(ख) दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना;

(ग) शपथ-पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना;

(घ) किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियां मंगाना;

(ङ) साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना; और

(च) कोई अन्य विषय जो विहित किया जाए.

(4) यथास्थिति, संसद या राज्य विधान मण्डल के किसी अन्य अधिनियम में अन्तर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जांच करने के दौरान, ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा, जिसे यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा.

अपील.

19. (1) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे धारा 7 की उपधारा (1) या उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से ज्येष्ठ पंक्ति का है:

परन्तु ऐसा अधिकारी, तीस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने में पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था.

(2) जहां अपील धारा 11 के अधीन, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा पर व्यक्ति की सूचना प्रकट करने के लिए किए गए किसी आदेश के विरुद्ध की जाती है वहां संबंधित पर व्यक्ति द्वारा अपील, उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी.

(3) उपधारा (1) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को होगी:

परन्तु, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग नब्बे दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था.

(4) यदि यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय जिसके विरुद्ध अपील की गई है, पर व्यक्ति की सूचना से संबंधित है तो यथास्थिति केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग उस पर व्यक्ति को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा.

(5) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर, जिसने अनुरोध से इंकार किया था, होगा.

(6) उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किए जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किए जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा.

(7) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा.

(8) अपने विनिश्चय में, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निम्नलिखित की शक्ति है—

(क) लोक प्राधिकरण से ऐसे उपाय करने की अपेक्षा करना, जो इस अधिनियम के उपबंधों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो, जिनके अन्तर्गत निम्नलिखित भी हैं.—

(i) सूचना तक पहुंच उपलब्ध कराना, यदि विशिष्ट प्ररूप में ऐसा अनुरोध किया गया है;

(ii) यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को नियुक्त करना;

(iii) कतिपय सूचना या सूचना के प्रवर्गों को प्रकाशित करना;

(iv) अभिलेखों के अनुरक्षण, प्रबंध और विनाश से संबंधित अपनी पद्धतियों में आवश्यक परिवर्तन करना;

(v) अपने अधिकारियों के लिए सूचना के अधिकार के संबंध में प्रशिक्षण के उपबंध को बढ़ाना;

(vi) धारा 4 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के अनुसरण में अपनी एक वार्षिक रिपोर्ट उपलब्ध कराना;

(ख) लोक प्राधिकारी से शिकायतकर्ता को, उसके द्वारा सहन की गई किसी हानि या अन्य नुकसान के लिए प्रतिपूरित करने की अपेक्षा करना;

(ग) इस अधिनियम के अधीन उपबंधित शास्तियों में से कोई शास्ति अधिरोपित करना;

(घ) आवेदन को नामंजूर करना.

(9) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग शिकायतकर्ता और लोक प्राधिकारी को, अपने विनिश्चय की, जिसके अन्तर्गत अपील का कोई अधिकार भी है, सूचना देगा.

(10) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, अपील का विनिश्चय ऐसी प्रक्रिया के अनुसार करेगा, जो विहित की जाए.

शास्ति.

20. (1) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी ने, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए, कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है दो सौ पचास रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम पच्चीस हजार रुपये से अधिक नहीं होगी :

परन्तु यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी को, उस पर कोई शास्ति अधिरोपित किए जाने के पूर्व, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा :

परन्तु यह और कि यह साबित करने का भार कि उसने युक्तियुक्त रूप से और तत्परतापूर्वक कार्य किया है, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी पर होगा.

(2) जहां किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी, किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असद्भावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचनां को नष्ट कर दिया है, जो अनुरोध का विषय थी या किसी रीति से सूचना देने में बाधा डाली है वहां वह यथास्थिति, ऐसे केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा.

अध्याय 6

प्रकीर्ण

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण,

21. कोई वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही किसी भी ऐसी बात के बारे में, जो इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किसी नियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है, किसी व्यक्ति के विरुद्ध न होगी.

22. इस अधिनियम के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 (1923 का 19) और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे. अधिनियम का अध्यारोही प्रभाव होना.

23. कोई न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन किए गए किसी आदेश के संबंध में कोई वाद, आवेदन या अन्य कार्यवाही ग्रहण नहीं करेगा और ऐसे किसी आदेश को, इस अधिनियम के अधीन किसी अपील के रूप में के सिवाए किसी रूप में प्रश्नगत नहीं किया जाएगा. न्यायालयों की अधिकारिता का वर्जन.

24. (1) इस अधिनियम में अन्तर्विष्ट कोई बात, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठनों को, जो दूसरी अनुसूची में विनिर्दिष्ट है या ऐसे संगठनों द्वारा उस सरकार को दी गई किसी सूचना को लागू नहीं होगी : अधिनियम का कतिपय संगठनों को लागू न होना.

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी:

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानवाधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना केन्द्रीय सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिन के भीतर दी जाएगी.

(2) केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में किसी अधिसूचना द्वारा, अनुसूची का उस सरकार द्वारा स्थापित किसी अन्य आसूचना या सुरक्षा संगठन को उसमें सम्मिलित करके या उसमें पहले से विनिर्दिष्ट किसी संगठन का उससे लोप करके, संशोधन कर सकेगी और ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन पर ऐसे संगठन को अनुसूची में, यथास्थिति, सम्मिलित किया गया या उसका उससे लोप किया गया समझा जाएगा.

(3) उपधारा (2) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना, संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखी जाएगी.

(4) इस अधिनियम की कोई बात ऐसे आसूचना और सुरक्षा संगठनों को लागू नहीं होगी, जो राज्य सरकार द्वारा स्थापित ऐसे संगठन हैं, जिन्हें वह सरकार समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करे :

परन्तु भ्रष्टाचार और मानव अधिकारों के अतिक्रमण के अभिकथनों से संबंधित सूचना इस उपधारा के अधीन अपवर्जित नहीं की जाएगी :

परन्तु यह और कि यदि मांगी गई सूचना मानव अधिकारों के अतिक्रमण अभिकथनों से संबंधित है तो सूचना राज्य सूचना आयोग के अनुमोदन के पश्चात् ही दी जाएगी और धारा 7 में किसी बात के होते हुए भी, ऐसी सूचना अनुरोध की प्राप्ति के पैंतालीस दिनों के भीतर दी जाएगी.

(5) उपधारा (4) के अधीन जारी की गई प्रत्येक अधिसूचना राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखी जाएगी.

25. (1) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग, प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात्, यथासाध्यशीघ्रता से उसे वर्ष के दौरान इस अधिनियम के उपबंधों के कार्यान्वयन के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार करेगा और उसकी एक प्रति समुचित सरकार को भेजेगा. मानीटर करना और रिपोर्ट करना.

(2) प्रत्येक मंत्रालय या विभाग, अपनी अधिकारिता के भीतर लोक प्राधिकारियों के संबंध में, ऐसी सूचना एकत्रित करेगा और उसे, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को उपलब्ध कराएगा, जो इस धारा के अधीन रिपोर्ट तैयार करने के लिए अपेक्षित है और इस धारा के प्रयोजनों के लिए, उस सूचना को देने तथा अभिलेख रखने से संबंधित अपेक्षाओं का पालन करेगा.

(3) प्रत्येक रिपोर्ट में, उस वर्ष के संबंध में, जिससे रिपोर्ट संबंधित है निम्नलिखित के बारे में कथन होगा,—

(क) प्रत्येक लोक प्राधिकारी से किए गए अनुरोधों की संख्या;

(ख) ऐसे विनिश्चयों की संख्या, जहां आवेदक अनुरोधों के अनुसरण में दस्तावेजों तक पहुंच के लिए हकदार नहीं थे, इस अधिनियम के वे उपबंध जिनके अधीन ये विनिश्चय किए गये थे और ऐसे समयों की संख्या, जब ऐसे उपबंधों का अवलंब लिया गया था;

(ग) पुनर्विलोकन के लिए यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को निर्दिष्ट की गई अपीलों की संख्या, अपीलों की प्रकृति और अपीलों के निष्कर्ष;

(घ) इस अधिनियम के प्रशासन के संबंध में किसी अधिकारी के विरुद्ध की गई अनुशासनिक कार्रवाई की विशिष्टियां;

(ङ) इस अधिनियम के अधीन प्रत्येक लोक प्राधिकारी द्वारा एकत्रित की गई प्रभारों की रकम;

(च) कोई ऐसे तथ्य, जो इस अधिनियम की भावना और आशय को प्रशासित और कार्यान्वित करने के लिए लोक प्राधिकारियों के किसी प्रयास को उपदर्शित करते हैं;

(छ) सुधार के लिए सिफारिशें, जिनके अन्तर्गत इस अधिनियम या अन्य विधान या सामान्य विधि के विकास, समुन्नति, आधुनिकीकरण, सुधार या संशोधन के लिए विशिष्ट लोक प्राधिकारियों के संबंध में सिफारिशें या सूचना तक पहुंच के अधिकार को प्रवर्तनशील बनाने से सुसंगत कोई अन्य विषय भी हैं.

(4) यथास्थिति, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष के अंत के पश्चात् यथासाध्यशीघ्रता से, उपधारा (1) में निर्दिष्ट, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग की रिपोर्ट की एक प्रति संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष या जहां राज्य विधान-मण्डल के दो सदन हैं वहां प्रत्येक सदन के समक्ष और जहां राज्य विधान मंडल का एक सदन है वहां उस सदन के समक्ष रखवाएगी.

(5) यदि केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग को ऐसा प्रतीत होता है कि इस अधिनियम के अधीन अपने कृत्यों का प्रयोग करने के संबंध में किसी लोक प्राधिकारी की पद्धति इस अधिनियम के उपबंधों या भावना के अनुरूप नहीं है तो वह प्राधिकारी को ऐसे उपाय विनिर्दिष्ट करते हुए, जो उसकी राय में ऐसी अनुरूपता को बढ़ाने के लिये किए जाने चाहिए, सिफारिश कर सकेगा.

समुचित सरकार द्वारा कार्यक्रम तैयार किया जाना.

26. (1) केन्द्रीय सरकार, वित्तीय और अन्य संसाधनों की उपलब्धता की सीमा तक—

(क) जनता की विशेष रूप से, उपेक्षित समुदायों की इस बारे में समझ की वृद्धि करने के लिए कि इस अधिनियम के अधीन अनुध्यात अधिकारों का प्रयोग कैसे किया जाए शैक्षिक कार्यक्रम बना सकेगी और आयोजित कर सकेगी;

(ख) लोक प्राधिकारियों को, खण्ड (क) में निर्दिष्ट कार्यक्रमों को बनाने और उनके आयोजन में भाग लेने और ऐसे कार्यक्रमों का स्वयं जिम्मा लेने के लिए प्रोत्साहित कर सकेगी;

(ग) लोक प्राधिकारियों द्वारा उनके क्रियाकलापों के बारे में सही जानकारी का समय से और प्रभावी रूप में प्रसारित किए जाने को बढ़ावा दे सकेगी;

(घ) लोक प्राधिकरणों के, यथास्थिति, केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारियों या राज्य सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित कर सकेगी और लोक प्राधिकरणों द्वारा स्वयं के उपयोग के लिए सुसंगत प्रशिक्षण सामग्रियों का उत्पादन कर सकेगी.

(2) समुचित सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ से अठारह मास के भीतर, अपनी राजभाषा में, सहज व्यापक रूप और रीति से ऐसी सूचना वाली एक मार्गदर्शिका संकलित करेगी, जिसकी ऐसे किसी व्यक्ति द्वारा युक्तियुक्त रूप में अपेक्षा की जाए, जो अधिनियम में विनिर्दिष्ट किसी अधिकार का प्रयोग करना चाहता है.

(3) समुचित सरकार, यदि आवश्यक हो तो, उपधारा (2) में निर्दिष्ट मार्गदर्शी सिद्धान्तों को नियमित अंतरालों पर अद्यतन और प्रकाशित करेगी, जिनमें विशिष्टतया और उपधारा (2) की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) इस अधिनियम के उद्देश्य;

(ख) धारा 5 की उपधारा (1) के अधीन नियुक्त प्रत्येक लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी का डाक और गली का पता, फोन और फैक्स नम्बर और यदि उपलब्ध हो तो उसका इलेक्ट्रोनिक डाक पता;

(ग) वह रीति और प्ररूप, जिसमें, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से किसी सूचना तक पहुंच का अनुरोध किया जाएगा;

(घ) इस अधिनियम के अधीन लोक प्राधिकरण के, यथास्थिति, किसी केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी या राज्य लोक सूचना अधिकारी से उपलब्ध सहायता और उसके कर्तव्य;

(ङ) यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग से उपलब्ध सहायता;

(च) इस अधिनियम द्वारा प्रदत्त या अधिरोपित किसी अधिकार या कर्तव्य के संबंध में कोई कार्य करने या करने में असफल रहने के बारे में विधि में उपलब्ध सभी उपचार, जिनके अन्तर्गत आयोग को अपील फाइल करने की रीति भी है;

(छ) धारा 4 के अनुसार अभिलेखों के प्रवर्गों के स्वैच्छिक प्रकटन के लिए उपबंध करने वाले उपबंध;

(ज) किसी सूचना तक पहुंच के लिए अनुरोधों के संबंध में संदत्त की जाने वाली फीसों से संबंधित सूचनाएं; और

(झ) इस अधिनियम के अनुसार किसी सूचना तक पहुंच प्राप्त करने के संबंध में बनाए गए या जारी किए गए कोई अतिरिक्त विनियम या परिपत्र.

(4) समुचित सरकार को, यदि आवश्यक हो, नियमित अंतरालों पर मार्गदर्शी सिद्धांतों को अद्यतन और प्रकाशित करना चाहिए.

नियम बनाने की समुचित सरकार की शक्ति.

27. (1) समुचित सरकार, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगी.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्.—

(क) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;

(ख) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस;

(ग) धारा 7 की उपधारा (1) और उपधारा (5) के अधीन संदेय फीस;

(घ) धारा 13 की उपधारा (6) और धारा 16 की उपधारा (6) के अधीन अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों को संदेय वेतन और भत्ते तथा उनकी सेवा के निबंधन और शर्तें;

(ङ) धारा 19 की उपधारा (10) के अधीन अपीलों का विनिश्चय करते समय, यथास्थिति, केन्द्रीय सूचना आयोग या राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनाई जाने वाली प्रक्रिया;

(च) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए.

नियम बनाने की सक्षम प्राधिकारी की शक्ति.

28. (1) सक्षम प्राधिकारी, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकेगा.

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्ति की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे नियम निम्नलिखित सभी या किसी विषय के लिए उपबंध कर सकेंगे, अर्थात्.—

(i) धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन प्रसारित की जाने वाली सामग्रियों के माध्यम की लागत या प्रिन्ट लागत मूल्य;

(ii) धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस;

(iii) धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन संदेय फीस; और

(iv) कोई अन्य विषय, जो विहित किए जाने के लिए अपेक्षित हो या विहित किया जाए.

नियमों का रखा जाना.

29. (1) इस अधिनियम के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम, बनाए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब वह ऐसी कुल तीस दिन की अवधि के लिए सत्र में हो, जो एक सत्र में अथवा दो या अधिक आनुक्रमिक सत्रों में पूरी हो सकती है, रखा जाएगा और यदि उस सत्र के या पूर्वोक्त आनुक्रमिक सत्रों के ठीक बाद के सत्र के अवसान के पूर्व दोनों सदन उस नियम में कोई परिवर्तन करने के लिए सहमत हो जाएं या दोनों सदन इस बात से सहमत हो जाएं कि ऐसा नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात्, यथास्थिति, केवल ऐसे उपांतरित रूप में ही प्रभावी होगा या उसका कोई प्रभाव नहीं होगा. तथापि, उस नियम के ऐसे उपांतरित या निष्प्रभाव होने से उसके अधीन पहले की गई किसी बात की विधिमान्यता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा.

(2) इस अधिनियम के अधीन किसी राज्य सरकार द्वारा बनाया गया प्रत्येक नियम अधिसूचित किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र राज्य विधान-मण्डल के समक्ष रखा जाएगा.

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति.

30. (1) यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो केन्द्रीय सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा ऐसे उपबंध बना सकेगी, जो इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत न हों, जो उसे कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक और समीचीन प्रतीत होते हों:

परन्तु कोई ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारंभ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के पश्चात् नहीं किया जाएगा.

(2) इस धारा के अधीन किया गया प्रत्येक आदेश, किए जाने के पश्चात् यथाशीघ्र संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखा जाएगा.

2002 का 5.
निरसन.

31. सूचना स्वातंत्र अधिनियम, 2002 इसके द्वारा निरसित किया जाता है.

पहली अनुसूची

[धारा 13(3) और धारा 16(3) देखिए]

मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्त, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, राज्य सूचना आयुक्त द्वारा ली जाने वाली शपथ या किए जाने वाले प्रतिज्ञान का प्ररूप

"मैं, जो .....

मुख्य सूचना आयुक्त/ सूचना आयुक्त/ राज्य मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त नियुक्त हुआ हूं. ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं, विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं

रखूंगा, मैं, भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा तथा मैं सम्यक् प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी पूरी योग्यता, ज्ञान और विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूंगा तथा मैं संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूंगा.".

दूसरी अनुसूची

(धारा 24 देखिए)

केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित आसूचना और सुरक्षा संगठन

1. आसूचना ब्यूरो.
2. मंत्रिमण्डल सचिवालय के अनुसंधान और विश्लेषण खण्ड.
3. राजस्व आसूचना निदेशालय.
4. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो.
5. प्रवर्तन निदेशालय.

6. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो.

7. वैमानिक अनुसंधान केन्द्र.

8. विशेष सीमान्त बल.

9. सीमा सुरक्षा बल.

10. केन्द्रीय आरक्षित पुलिस बल.

11. भारत-तिब्बत सीमा बल.

12. केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल.

13. राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड.

14. असम राइफल्स.

15. विशेष सेवा ब्यूरो.

16. विशेष शाखा (सीआईडी), अंदमान और निकोबार.

17. अपराध शाखा-सीआईडी-सीबी, दादरा और नागर हवेली

18. विशेष शाखा, लक्षद्वीप पुलिस.

टी. के. विश्वनाथन,
सचिव, भारत सरकार.

सूचना का अधिकार
(फीस एवं अपील)
नियम, 2005

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 542 भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 नवम्बर 2005— कार्तिक 19, शक 1927 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2005

क्र. एफ. 11-37-05-एक-9.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22, सन् 2005) की 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को उपयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाती है अर्थात् .—

नियम

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. **संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.**— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 है.

(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में उनके प्रकाशन के दिनांक से लागू होंगे.

2. **परिभाषाएं.**—इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत है सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (क्रमांक 22 सन् 2005);

(ख) "गरीबी रेखा के नीचे" से अभिप्रेत है कि ऐसा नागरिक जिसे जिन्हें मध्यप्रदेश शासन द्वारा गरीबी रेखा के नीचे का होना घोषित किया गया हो;

(ग) "लागत" से अभिप्रेत है कि अधिनियम की धारा -2 के खण्ड (एफ) में यथा परिभाषित सूचना को प्रदान करने के लिये देय लागत;

(घ) "फीस" से अभिप्रेत है अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत देय फीस ;

(ङ) "प्ररूप" से अभिप्रेत है इन नियमों से संलग्न प्ररूप;

(च) "धारा" से अभिप्रेत है अधिनियम की धारा;

(छ) इन नियमों में प्रयुक्त शब्द, जो परिभाषित नहीं किए गए हैं, उनका अर्थ वही होगा जो अधिनियम की धारा-2 में परिभाषित है.

अध्याय-2

फीस

3. (1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (4) के अन्तर्गत अधिनियम के अधीन सामग्री प्राप्त करने हेतु प्रत्येक वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, उसके लिये दस रुपए के नान ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ स्वयं उपस्थित होकर आवेदन राज्य लोक सूचना अधिकारी, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को प्रस्तुत करेगा. यदि आवेदन डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है तो आवेदक दस रुपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प संलग्न करेगा.

(2) यथास्थिति, राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने पर सूचना की विषय वस्तु की छपाई लागत या मीडियम लागत मूल्य, जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा नियत किया जाए, नगद या नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में आवेदक राज्य लोक सूचना अधिकारी के पास जमा करेगा. आवेदक द्वारा यदि राशि नगद जमा की जाती है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या उनके द्वारा निर्देशित अधिकारी द्वारा उसकी रसीद प्रदाय की जाएगी. ऐसी जमा की गई राशि कोषालय में चालान द्वारा जमा की जाएगी.

4. धारा 6 की उपधारा (1) तथा धारा 7 की उपधारा (1) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने वाला वह व्यक्ति जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है, यथास्थिति संबंधित राज्य सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी को, उसके लिये दस रुपये के नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प या नगद भुगतान कर उसकी रसीद के साथ आवेदन प्रस्तुत करेगा.

5. (1) अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (5) के अन्तर्गत जहां सूचना की पहुंच छपे हुए (मुद्रित) या किसी इलेक्ट्रानिक रूप/ फार्मेट में उपलब्ध कराई जाना है, तो ऐसी सूचना की वास्तविक लागत जैसा कि यथास्थिति राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित की जाए, नगद या नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में ऐसे आवेदक द्वारा जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं हैं, ऐसे अधिकारी के समक्ष जिसे लोक प्राधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, निर्देश देने के तीन दिवस के अंदर जमा करेगा.

(2) यदि आवेदक किसी दस्तावेज या अभिलेख का निरीक्षक करना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी इस प्रयोजन के लिये अपने अधीनस्थ अधिकारी को नियत करेगा और आवेदक जो गरीबी रेखा से नीचे नहीं हैं, उसके लिये प्रथम घण्टे अथवा उससे कम समय के लिये रु. 50/- (रुपये पचास) तथा उसके पश्चात् प्रत्येक 15 मिनट अथवा उसके भाग के लिये रु. 25/- (रुपये पच्चीस) नगद या नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में प्रभारित किए जाएंगे.

(3) यदि आवेदक किसी सामग्री का प्रमाणिक नमूना लेना चाहता है तो राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा उस नमूने की निर्धारित लागत, आवेदक ऐसे अधिकारी को, जैसा कि उक्त अधिकारी द्वारा निर्देशित किया जाए, नगद या नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप से जमा करेगा.

(4) जहां ऐसी सूचना का भण्डारण कम्प्यूटर में किया गया है तो ऐसी सूचना के डिस्केट्स या फ्लापी या टेप या वीडियो कैसेट की वास्तविक लागत जैसा कि राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित किया जाए, आवेदक द्वारा नगद या नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा की जाएगी.

अध्याय-3

वेतन तथा सेवा शर्तें

6. अधिनियम की धारा 16 की उपधारा (6) के अन्तर्गत पदस्थ किए गए अधिकारियों तथा कर्मचारियों को वही वेतन तथा भत्ते देय होंगे जैसा कि वे पदस्थ होने के पूर्व से प्राप्त कर रहे थे तथा उनकी सेवाओं के लिए वही नियम लागू होंगे जो उनको पदस्थ होने के पूर्व लागू थे.

अध्याय-4

अपील

7. (1) **प्रथम अपील.**— यदि कोई व्यक्ति धारा 7 की उपधारा (1) अथवा उपधारा (3) के खण्ड (क) में विनिर्दिष्ट समय के भीतर विनिश्चय प्राप्त नहीं करता है या प्राप्त नहीं होता है अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी के विनिश्चय से व्यथित है, वह ऐसी कालावधि के व्यतीत होने के तीस दिवस के भीतर अथवा ऐसे विनिश्चय के प्राप्ति के तीस दिवस के भीतर ऐसे अधिकारी को जो राज्य लोक सूचना अधिकारी से वरिष्ठ हो को अपील, अपील के ज्ञापन के साथ रु. 50/- (पचास रुपये) के शुल्क या नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प के साथ प्रस्तुत कर सकेगा:

परन्तु यह कि ऐसा अपीलीय अधिकारी तीस दिवस की कालावधि के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिए ग्रहण कर सकेगा यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी पर्याप्त कारणों से अपील समयावधि में प्रस्तुत करने में विफल रहा है.

(2) अपील के ज्ञापन में अपीलार्थी का नाम व पता, सूचना के आधार की विषय वस्तु, सक्षम अधिकारी का नाम तथा पदनाम के साथ सक्षम प्राधिकारी द्वारा सूचना देने अथवा फीस का भुगतान करने के आदेशों का स्पष्ट उल्लेख किया जाएगा.

(3) उपनियम (1) के अन्तर्गत अपील प्राप्त किए जाने से तीस दिवस के भीतर या ऐसे विस्तारित कालावधि के भीतर, जो अपील फाइल करने की तारीख से कुल मिलाकर पैंतालीस दिवस से अधिक नहीं हो, यथास्थिति, लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए निपटाई जाएगी.

(4) अपील में पारित आदेश की प्रति नि:शुल्क अपीलार्थी को प्रदाय की जाएगी.

8. (1) **द्वितीय अपील.**—नियम 7 के उप नियम (3) के अधीन विनिश्चय के विरुद्ध द्वितीय अपील राज्य सूचना आयोग को इस तारीख से नब्बे दिवस के भीतर प्रस्तुत की जा सकेगी जिस तारीख को विनिश्चय पारित हो गया होना चाहिए अथवा उस तारीख से जब विनिश्चय वास्तविक रूप से प्राप्त किया गया है:

परन्तु यह कि राज्य सूचना आयोग नब्बे दिवस की कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी अपील सुनवाई के लिये ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय के भीतर अपील प्रस्तुत करने में पर्याप्त कारणों से विफल रहा है.

(2) राज्य सूचना आयोग के समक्ष प्रस्तुत अपील के ज्ञापन के साथ रुपये 100/- (रुपये सौ) की फीस नगद या नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प के रूप में जमा करना होगा.

(3) राज्य सूचना आयोग द्वारा, यथास्थिति, लोक प्राधिकारी अथवा राज्य लोक सूचना अधिकारी या अपीलार्थी को युक्तियुक्त सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील प्रस्तुत होने के दिनांक से 30 दिवस के भीतर लिखित में कारणों को अभिलिखित करते हुए अपील का निराकरण करेगा.

(4) राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय अंतिम एवं बंधनकारी होगा.

(5) राज्य सूचना आयोग के विनिश्चय की प्रति अपीलार्थी को नि: शुल्क प्रदाय की जाएगी परन्तु यदि अपीलार्थी आदेश की प्रति डाक द्वारा प्राप्त करना चाहता है तो अपीलार्थी से डाक शुल्क प्राप्त कर तीन दिवस के अंदर भेजी जाएगी.

9. नियम 7 एवं 8 के अन्तर्गत देय फीस ऐसे व्यक्तियों से जो गरीबी रेखा से नीचे है, से प्रभारित नहीं की जायेगी.

संलग्न

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005

प्ररूप -एक

[सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा (6) (1) के अन्तर्गत आवेदन पत्र का प्ररूप]

1. आवेदक का नाम .....
2. पूरा पता/ई-मेल/फैक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जाना है .....
   .....
3. दूरभाष क्रमांक. . . . . .
4. आवेदन देने का दिनांक . . . . . .
5. कार्यालय का नाम .....
6. चाही गई जानकारी का विवरण .....
7. क्या चाहते है नकल/निरीक्षण/रिकार्ड निरीक्षण/रिकार्ड की प्रमाणित प्रति/प्रमाणित नमूना
8. आवेदक के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी- रुपये 10/- नगद/स्टॉम्प (वीपीएल सूची के सदस्य को देय नहीं)
   रसीद क्र. . . . . .एवं दिनांक . . . . . .
9. क्या आवेदक गरीबी की रेखा के नीचे है अथवा नहीं—हां/नहीं
   यदि हो तो वी. पी. एल. सूची का अनुक्रमांक

हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

टीप.—यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रुपये 10/- का नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प चस्पा करते हुए स्वयं का पता अंकित करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकिट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें.

पावती

1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक . . . . . .
2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के संबंध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक . . . . . .
3. संबंधित शाखा/अधिकारी जहां से जानकारी उपलब्ध होगी .....
   (लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

दिनांक . . . . . .

प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्ररूप-दो

आवेदक को उसके द्वारा वांछित नकल/जानकारी/निरीक्षण हेतु निर्धारित शुल्क दिये जाने की सूचना

1. आवेदक का नाम/पता .....
2. आवेदनकर्त्ता का संदर्भ .....
3. विषय/विवरण .....
4. उपस्थिति दिनांक .....

विषयांतर्गत सूचित किया जाता है कि आपके आवेदन में दिनांक ..... के संदर्भ में चाही गई जानकारी हेतु आप निर्धारित शुल्क दिनांक .....तक जमा कर दस्तावेज/नकल/नमूना दिनांक .....तक प्रात कर लें. यदि दस्तावेज डाक द्वारा चाहते है तो उसके लिये रजिस्टर्ड/यूपीसी/डाक व्यय सहित, स्वयं का पता लिखा हुआ लिफाफा साथ में संलग्न करें.

2. शुल्क निम्नानुसार देय होगा.—

वांछित जानकारी का प्रकार (1)	पृष्ठ संख्या/नग/मात्रा (2)	दर (3)	राशि (कॉलम 2 गुणा 3) (4)
कार्य संबंधी दस्तावेज जैसे नक्शा/प्रशासकीय स्वीकृति/तकनीकी स्वीकृति/अनुबंध/इस्टीमेट/ आदेश, टीप इत्यादि की प्राप्ति वित्तीय/लेखा संबंधी दस्तावेज इत्यादि सैम्पल अन्य			

सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी
(रबर सील)

टीप.—डाक से आवेदन प्राप्त होने पर प्ररूप-दो डाक से प्रेषित किया जाएगा.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

प्ररूप-तीन

आवेदन-पत्र संबंधित विभाग को अंतरित करने संबंधी प्रपत्र

द्वारा —विभाग का नाम/पता
प्रति,

.....
.....
.....

विषय.—.....
.....

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा (6) की उपधारा (3) के अन्तर्गत श्री ..... से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांक ..... को प्राप्त हुआ परीक्षण उपरांत वस्तुस्थिति आपके विभाग से संबंधित होने के कारण निर्धारित समयावधि (पांच कार्य दिवस) में आपकी ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु अंतरित किया जा रहा है.

संलग्न—मूल आवेदन

लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना
(रबर सील)

अधिकारी

प्रतिलिपि.—

श्री ..... पिता श्री ..... को सूचित किया जाता है कि आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक ..... कार्यालय विभाग ..... से संबंधित होने के कारण दिनांक ..... को कार्यालय/विभाग ..... को अंतरित कर दिया गया है.

अत: कृपया आगामी कार्यवाही हेतु उक्त कार्यालय/विभाग ..... से संपर्क करने का कष्ट करें.

हस्ताक्षर
लोक सूचना अधिकारी
सहायक सूचना अधिकारी.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

समय-सारणी

प्ररूप –चार

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत

1. आवेदन प्राप्ति की दिनांक .....

2. आवेदन प्राप्त होने पर प्राप्तकर्ता अधिकारी/कर्मचारी अधिकतम दूसरे कार्य दिवस तक संबंधित शाखा को भेज देगा.

3. संबंधित शाखा प्रभारी ऐसे प्राप्त आवेदन से संबंधित अभिलेख अधिकतम तीन कार्य दिवस में लोक सूचना अधिकारी को अपनी टीप सहित प्रेषित करेगा कि ऐसा अभिलेख धारा 8 के अन्तर्गत वर्जित तो नहीं है.
शाखा प्रभारी यदि पाता है कि आवेदन उसकी शाखा से संबंधित न होकर या अन्यत्र शाखा या विभाग से संबंधित है तब ऐसी दशा में अधिकतम दूसरे कार्यदिवस तक आवेदन लोक सूचना अधिकारी/सहायक सूचना अधिकारी को भेज देगा.

4. लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी ऐसा अभिलेख प्राप्त होने पर अधिकतम तीन कार्य दिवसों में आवेदक को सूचना/ प्रतिलिपि/सेम्पल शुल्क अदा करने के लिये निर्धारित प्रारूप में सूचित करेंगे.

5. लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित शुल्क की पूर्ति होने के पश्चात् आवेदन की दिनांक से अधिकतम 30 दिवस की समयावधि में वांछित दस्तावेज/ नकल/ निरीक्षण/ अवलोकन की कार्यवाही कर आवेदक के हस्ताक्षर प्राप्त करेगें.
यदि वांछित अभिलेख अन्य कार्यालय/ विभाग से संबंधित है तो लोक सूचना अधिकारी/सहायक लोक सूचना अधिकारी निर्धारित प्रारूप में मूल आवेदन संबंधित कार्यालय/विभाग को आवेदन की दिनांक से 5 कार्य दिवस में अंतरित कर देगें. साथ ही आवेदनकर्त्ता को निर्धारित प्रारूप में अंतरण की सूचना देंगे.

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

पंजी का प्रारूप

प्ररूप -पांच

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत धारित की जाने वाली पंजी का प्रारूप)

स. क्र.	आवेदक का नाम संस्था/फर्म	आवेदक का संपर्क	आवेदन प्रस्तुति का दिनांक	आवेदन प्राप्त होने का माध्यम	विषय	आवेदक द्वारा जमा किया गया शुल्क रसीद क्र. दिनांक	आवेदक को उपस्थित होने के लिये दी गई तिथि/शाखा	शाखा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

संबंधित को भेजने का दिनांक शाखा	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर	शाखा से जानकारी प्राप्त होने का दिनांक	आवेदन का निराकरण		रिमार्क
			दिनांक	स्वरूप	
(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)

शाखा की पंजी का प्रारूप

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 के अन्तर्गत

प्ररूप .-छः

स. क्र.	आवेदन-पत्र प्राप्त होने का दिनांक	आवेदक का नाम	निराकरण की दिनांक	निराकरण का स्वरूप	प्राप्तकर्ता/आवेदक के हस्ताक्षर एवं दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

No.F-11-37-05-I-9.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government, hereby makes the following rules, namely:—

RULES

CHAPTER-1

Preliminary

1. **Short title and commencement.**—(1) These rules may be called the Madhya Pradesh Right to Information (Fees and Appeal) Rules 2005.

(2) They shall come into force with effect from the date of their publication in the Madhya Pradesh Gazette.

2. **Definitions.**—In these rules, unless the context otherwise requires—

(a) "Act" means the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005).

(b) "Below Poverty Line" means such citizen of State who is declared as below poverty line by the Government of Madhya Pradesh.

(c) "Cost" means the cost which is chargeable for providing information as defined in clause (f) of Section 2 of the Act.

(d) "Fees" means the fees payable under the provisions of the Act.

(e) "Forms" means the forms attach to these rules.

(f) "Sections" means the sections of the Act.

(g) The words used in these rules but not defined shall have the same meaning as they are defined in Section 2 of the Act.

CHAPTER-2

Fees

3. (1) Any person, who is not below the poverty line, desires any material under sub-section (4) of Section 4 of the Act, shall submit the application himself, to the State Public Information Officer/Assistant Public Information Officer with non- Judicial stamp of Rs 10/- or with the receipt of Rs. 10/- (Rupees ten) after making payment in cash. If the application is being sent by post, the applicant shall enclose the non-judicial Stamp of Rs. 10/- (Rupees ten).

(2) After receiving the application by the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer as the case may be, the printing cost or medium cost price of the material of the information as determined by above Officer shall be deposited by the applicant to the above said officers in cash or in the form of non-judicial stamp. If the amount is deposited in cash by the applicant, the State Public Information Officer or the officer as directed by him shall give a receipt of such amount the amount so deposited shall be deposited into the treasury by a challan.

4. Any person, who is not below the proverty line, desires to seek an information under sub-section (1) of Section 6 and sub-section (1) of Section 7 of the Act shall produce the appliction before the public Authority or State Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer, as the case may be, with the non-judicial stamp of Rs. 10/- (Rupees ten) or with the receipt of Rs. 10/- (Rupees ten) by paying in cash.

5. For the purposes of sub-section (5) of Section 7 where access to information is to be provided in the printed or in any electronic format, the applicant, who is not below the poverty line, shall deposit the actual cost of the Information as determined by the public Authority or State Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer in cash or in the form of non-judicial stamp within three days from the date of direction to such officers as directed by the public Authority or State Public Information Officer.

(2) If the applicant wants to examine any document or record, the State Public Information Officer or State Assistant public Information Officer shall depute any sub-ordinate officer for such purpose and the applicant, who is not below the poverty line, shall pay Rs. 50/- (Rupees Fifty) for first hour or fraction thereof and Rs. 25/- (Rupees Twenty Five) for every additional fifteen minutes or fraction thereof in cash or in the form of non-judicial stamp.

(3) If the applicant wants the certified samples of any material, the cost determined by the State Public Information Officer or State Assistant Public Information Officer of such material, shall be deposited by the applicant to such officer who is directed by the State Public Information Officer, in cash or in the form of non-judicial stamp.

(4) Where the information is stored in the computer, the actual cost of the diskettes or floppies or tape or video cassettes as determined by the State Public Information Officer or the State Assistant Public Officer shall be deposited by the applicant in cash or in the form of non-judicial stamp.

CHAPTER-3

Pay and other Service Conditions

6. The officer and servants deputed under sub-section (6) of the Section 16 shall be paid the same pay and allowances as they were receiving before deputation and for these service conditions the same rules shall be applicable as were applicable before such deputation.

CHAPTER-4

Appeal

7. **First Appeal.**—(1) Any person who does not receives a decision within the time specified in sub-section (1) or clause (a) of sub-section (3) of Section 7, or is aggrieved by a decision of the State Public Information Officer, may within thirty days from the expiry of such period or from the receipt of such a decision prefer an appeal, with a memorandum of appeal and the fee of Rs. 50/- (Rupees Fifty) either in cash or in the form of non-judicial stamp, to such officer who is senior in rank to the State Public Information Officer in each Public Authority:

Provided that such officer may admit the appeal after the expiry of the period of thirty days if he is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) In the memorandum of appeal the name and address of the appellant, the basis of the subject matter of the information, with the name and the post of the competent officer, the orders of the competent authority and payment of fee shall be clearly specified.

(3) An appeal under sub-rule (1) shall be disposed of within thirty days of the receipt of the appeal or within such extended period not exceeding a total of forty five days from the date filing thereof, as the case may be, for reasons to be recorded in writing.

(4) The Copy of order passed in appeal shall be given free of cost.

8. **Second Appeal.**—(1) A second appeal against the decision under sub-rule (3) of rule 7 shall lie within ninety days from the date on which the decision should have been made or was actually received, with the State Information Commission:

Provided that the State Information Commission may admit the appeal after the expiry of the period of ninety days if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from filing the appeal in time.

(2) With the memorandum of appeal filed before the State Information Commission the fee of Rs. 100/- (Rupees One hundred) in cash or in the form of non-judicial stamp shall be deposited.

(3) The state Information Commission shall after giving reasonable opportunity of being heard to public Authority or State Public Information Officer or appellant, as the case may be, disposed of the appeal within thirty days from the date of the receipt of the appeal for reasons to be recorded in writing.

(4) The decision of the State Information Commission shall be final and binding.

(5) A copy of the decision, of the State Information Commission shall be given free of cost. If the appellant wants to receive the copy of the order by post then after receiving the fee of postal charges, shall be sent within three days.

9. The fee chargeable under rule 7 and 8 shall not be charged from the persons who are of below poverty line.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश अर्गल, अतिरिक्त सचिव.

सूचना का अधिकार फीस एवं अपील नियम, 2005 में संशोधन

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) क्रमांक 543 भोपाल, गुरुवार, दिनांक 10 नवम्बर 2005— कार्तिक 19, शक 1927 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अक्टूबर 2005

मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम (प्रथम संशोधन) 2005

क्र. एफ. 11-37-05-एक-9.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 27 के तहत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा "मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस एवं अपील) नियम, 2005" में निम्नानुसार संशोधन करती है, अर्थात् .—

संशोधन

(1) परिभाषायें में (छ:) के नीचे निम्न परिभाषा अंत: स्थापित की जाये,—

(सात) "**सब्सन्टेशयली फायनेंसड**" से अभिप्रेत वार्षिक टर्न ओवर का पचास प्रतिशत या रुपये पचास हजार, जो भी कम हो, शासन या उसकी किसी संस्था से अनुदान के रूप में या अन्यथा वित्तीय रूप से पोषित होने से है.

(2) नियम (5) (1) में वाक्य "**ऐसे आवेदक द्वारा**" के पश्चात् निम्न वाक्य विलोपित किया जाये,—

"**जो गरीबी रेखा के नीचे नहीं है**"

(3) नियम (5) (1) वाक्य "**उपलब्ध कराई जाना है**" के बाद निम्न वाक्य अंत: स्थापित किया जाये,—

"**वहां ए-3/ए-4 साइज कागज की फोटो कापी हेतु रुपये दो प्रति पृष्ठ तथा यदि इससे बड़े कागज पर सूचना की फोटो प्रति उपलब्ध कराना है**"

(4) नियम (5) (4) में वाक्य "**ऐसी सूचना के डिस्केट या फ्लापी**" के बाद निम्न वाक्य अंत: स्थापित किया जाये,—

"**में उपलब्ध कराने हेतु रुपये पचास प्रति डिस्केट या फ्लापी तथा जहां सूचना टेप या विडियो केसेट में उपलब्ध करानी हो वहां**".

Right to Information (Fees and Appeal) Rules (First Amendment) 2005

No. F. 11-37-05-I-9.—In exercise of power conferred by Section 27 of the Right to Information Act, 2005, the State Government hereby makes the following amendments in the Right to Information (Fees and Appeal) rules, 2005:—

AMENDMENTS

(1) Under **Definitions** heading, following definition shall be inserted after (g).—

(h) "**Substantially Financed**" means where fifty percent of annual turn over or rupees fifty thousand, which ever is less is financed by the Government or any of its institution.

(2) In rule (5) (1), after the sentence " **the applicant**" following should be deleted,—

"**who is not below the poverty line,**".

(3) In rule (5) (1), after the sentence"**the applicant**", following shall be inserted,—

"shall deposit rupees two per page for photocopy on A-3/A-4 size paper and for photocopy on bigger size paper."

(4) In rule (5) (4) the sentence "**The actual cost of the Diskettes or Floppies or Video cassettes**" shall be replaced by the sentence,—

"Rupees fifty per Diskette or Floppy for providing information on Diskettes or Floppies and for providing information on Tapes or Video cassettes, the actual cost of the Tape or Video cassettes"

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अखिलेश अर्गल, अपर सचिव.

[मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण), क्रमांक 110 भोपाल, सोमवार, दिनांक 17 मार्च 2008— फाल्गुन 27, शक 1929 में प्रकाशित]

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2008

क्र. एफ-11-37-05-एक-9.—सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (2005 का सं. 22) की धारा 27 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश सूचना का अधिकार (फीस तथा अपील) नियम, 2005 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् .—

संशोधन

उक्त नियमों में—

1. नियम 5 में,—

(एक) उपनियम (1) में, शब्द "तीन दिवस" के स्थान पर, शब्द "पन्द्रह कार्य दिवस" स्थापित किए जाएं;

(दो) उपनियम (4) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किये जाएं; अर्थात्.—

"(5) गरीबी रेखा के नीचे के आवेदक द्वारा इस अधिनियम के अधीन चाही गई सूचना निम्नानुसार उपलब्ध कराई जाएगी, अर्थात् .—

(एक) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध है, तब सूचना ऐसे प्ररूप में, जिसमें वह मांगी गई है, उपलब्ध कराई जाएगी, बशर्ते सूचना उस प्ररूप में उपलब्ध हो, तथा प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा के लिये अहितकर न हो सकेगी;

(दो) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध नहीं है, किन्तु सूचना पचास पृष्ठों (ए-4 साइज के) तक सीमित है, तब चाही गई सूचना की फोटो प्रतियां उपलब्ध कराई जाऐंगी बशर्ते की वह प्रश्नगत अभिलेख की सुरक्षा के लिए अहितकर न हो;

(तीन) यदि चाही गई सूचना से आवेदक का सीधा संबंध नहीं है तथा सूचना पचास पृष्ठों (ए-4 साइज के) से अधिक की है, तब अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (9) के अधीन कारणों को लेखबद्ध करने के पश्चात्, आवेदक से कार्यालय में अभिलेख नस्ती का निरीक्षण करने के लिए कहा जायेगा तथा सूचना को सीमित करने के लिए अनुरोध किया जायेगा.

(6) यदि आवेदक, विभागों द्वारा प्रकाशित की गई मुद्रित रिपोर्ट तथा अन्य सामग्री चाहता है, तो वह ऐसे प्रकाशनों के लिए नियत कीमत पर उपलब्ध कराई जा सकेगी. नियम 5 के उपनियम (1) में नियत की गई दरों के अनुसार ऐसे प्रकाशनों से उद्धरण उपलब्ध कराये जा सकेंगे.

(7) यदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन आवेदक, ऐसी सूचना मांगता है, जहां किसी अन्य अधिनियम/नियम में ऐसी सूचना के लिए पृथक् फीस का उपबंध है, वहां आवेदक को तत्स्थानी अधिनियम/नियम के अधीन यथा-उपबंधित ऐसी फीस का भुगतान करना होगा.".

2. नियम 7 के उपनियम (2) में, शब्द "सक्षम अधिकारी" के स्थान पर, शब्द "लोक सूचना अधिकारी" स्थापित किए जाएं.

3. नियम 8 में,—

(एक) उपनियम (3) में शब्द "30 दिवस" के स्थान पर, शब्द "एक सौ अस्सी दिवस" स्थापित किए जाएं;

(दो) उप नियम (5) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् .—

"(6) शास्ति की रकम की वसूली हेतु प्रक्रिया .—

(एक) राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी, राज्य सूचना आयोग द्वारा जारी किए गए शास्ति के आदेश की प्राप्ति की तारीख से एक मास के भीतर अधिरोपित शास्ति नकद या बैंक ड्राफ्ट अथवा बैंकर्स चैक के रूप में राज्य सूचना आयोग के पास जमा करेगा;

(दो) राज्य सूचना आयोग को शास्ति की वसूली के लिए धारा 18 की उपधारा (3) के खण्ड (च) के अधीन वही शक्तियां प्राप्त होंगी, जो कि सिविल न्यायालय में निहित हैं. सूचना आयोग, शास्ति की वसूली के लिए पृथक् मामला रजिस्ट्रांकित करके इस शक्ति के अधीन कार्यवाही आरंभ करेगा;

(तीन) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी विहित समय-सीमा के भीतर अधिरोपित शास्ति की रकम जमा करने में असफल रहता है तो राज्य सूचना आयोग संबंधित अनुशासनिक प्राधिकारी को, राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई करने के लिए तथा अधिरोपित शास्ति की रकम की वूसली के लिए रिपोर्ट करेगा. ऐसे मामलों में राज्य सूचना आयोग का आदेश संबंधित अधिकारी पर बाध्यकारी होगा;

(चार) यदि अधिरोपित शास्ति की रकम राज्य लोक सूचना अधिकारी या राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी के वेतन से वसूल नहीं की जाती है तो उसे भू-राजस्व के बकाया के तौर पर उससे वसूल किया जाएगा.".

4. नियम 3 के उपनियम (1) तथा (2), नियम 4, नियम 5 के उपनियम (1), (2), (3) तथा (4) तथा नियम 7 के उपनियम (1) और नियम 8 के उपनियम (2) में, शब्द "नान-ज्यूडिशियल स्टाम्प" के पश्चात् शब्द "खजाना चालान की मूलप्रति" अंत:स्थापित किए जाएं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. अग्रवाल, सचिव.

भोपाल, दिनांक 10 मार्च 2008

क्र. एफ-11-37-05-सूअप्र-एक-9.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 10 मार्च 2008 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. डी. अग्रवाल, सचिव.

Bhopal, the 10th March 2008

No. F 11-37-2005-I-9.—In exercise of the powers conferred by Section 27 of the Right to Information Act, 2005 (No. 22 of 2005), the State Government, hereby makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Right to Information (Fees and Apeal) Rules, 2005, namely:—

AMENDMENT

In the said rules,—

1. In Rule 5,—

(i) In sub-rule (1), for the words "three days", the words "fifteen working days" shall be substituted;

(ii) after sub-rule (4), the following sub-rules shall be inserted, namely:—

"(5) The Information sought by the applicant below poverty line under this Act shall be provided as under,—

(i) if the Information sougth is directly related with the applicant, then the Information shall be

provided in the form, in which it is demanded, provided the Information is available in that from and would not be detrimental to the safety of the record in question;

(ii) if the Information sougth is not directly related with the applicant, but the Information is limited up to fifty pages (of A-4 size), then the photo copies of the Information sought shall be made available, provided that it would not be detrimental to the safety of the record in question;

(iii) if the Information sougth is not directly related with the applicant and the Information is of more than fifty pages (of A-4 size), then after recording reasons under sub-section (9) of Section 7 of the Act, the applicant shall be asked to inspect the record file in the office and shall be requested to limit the Information.

(6) if the applicant wants printed reports and other materials published by the departments, they can be provided at the price fixed for such publications. Extracts from such publications can be provided as per rates fixed in sub-rule (1) of Rule 5.

(7) if under Right to Information Act, 2005 the applicant asks for such Information, where some other Act/Rules provides for separate fee for such Information, then the applicant has to pay such fees as provided under the corresponding Act/Rule.

2. In sub-rule (2) of Rule 7, for the words "Competent Officer", the words "Public Information Officer" shall be substituted.

3. In Rule 8,—

(i) in sub-rule (3), for the words "Thirty days" the words "one hundred eighty days" shall be substituted.

(ii) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(6) Process for recovery of Penalty amount:—

(i) the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer shall deposit the imposed penalty in cash or in the form of bank draft or banker's cheque, with the State Information Commission within one month from the date of receipt of penalty order issued by the State Information Commission.

(ii) for revovery of penalty the State Information Commission under clause (f) of sub-section (3) of Section 18 shall have the same powers, as are vested in a Civil Court. The Information Commission shall initiate the action under this power, by registering a separate case for recovery of penalty;

(iii) if the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer fails to deposit the imposed penalty amount within the prescribed time limit, then the State Information Commission shall report to concerned disciplinary authority for taking desciplinary action and for recovery of imposed penalty amount against the State Public Information Officer of the State Assistant Public Information Officer. In such cases, the order of the State Information Commission shall be binding on the concerned officer.

(iv) if the imposed penalty amount is not recovered from the salary of the State Public Information Officer or the State Assistant Public Information Officer, than the same shall be recovered from him as arrears of land revenue.".

4. In sub-rule (1) and (2) of rule, 3, rule 4, sub-rule (1), (2), (3) and (4) rule 5 and sub-rule (1) of rule 7 and sub-rule (2) of rule 8, after the words "non-judicial stamp", the words "original copy of Treasury Challan" shall be inserted.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
S. D. AGRAWAL, Secy.

लोक प्राधिकारियों की सूची

क्र. (1)	विभाग का नाम (2)	विभागाध्यक्ष कार्यालय का नाम (3)	अधीन निगम, मंडल/आयोग (4)
1.	सामान्य प्रशासन विभाग	राजभवन सचिवालय म. प्र. लोक सेवा आयोग लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त राज्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यालय विशेष पुलिस स्थापना मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता) राज्य आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो म. प्र. मानव अधिकार आयोग आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा, प्रशासन अकादमी म. प्र. भवन नई दिल्ली अतिथि अधिकारी का कार्यालय विभागीय जांच आयुक्त म. प्र. राज्य सूचना आयोग.	म. प्र. सिविल सेवा खेल नियंत्रण बोर्ड
2.	गृह विभाग	पुलिस महानिदेशक महानिदेशक, नगर सेना एवं नागरिक सुरक्षा संचालक, लोक अभियोजन संचालक, संपदा संचालक, सैनिक कल्याण संचालक, मेडिको लीगल संस्थान अधीक्षक, स्टेट गैरेज.	म. प्र. पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन
3.	जेल विभाग	महानिदेश एवं जेल महानिरीक्षक	
4.	वित्त विभाग	कोष एवं लेखा संचालनालय, अल्प बचत एवं राज्य लॉटरीज संचालनालय, बीमा तथा स्थानीय निधि संपरीक्षक. संचालनालय, संस्थागत वित्त संचालनालय, बजट वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली. संचालक, पेंशन.	म. प्र. वित्त निगम प्रोविडेन्ट इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमि. राज्य वित्त आयोग
5.	वाणिज्यकर विभाग	वाणिज्यकर आयुक्त आबकारी आयुक्त महानिरीक्षक, पंजीयन एवं अधीक्षक मुद्रा.	म. प्र. वाणिज्यिक कर अपील बोर्ड
6.	धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग		
7.	राजस्व विभाग	आयुक्त, भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त, ग्वालियर राजस्व मंडल म. प्र., ग्वालियर राहत आयुक्त, भोपाल नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, भोपाल.	

(1)	(2)	(3)	(4)
8.	परिवहन विभाग	परिवहन आयुक्त	म. प्र. सड़क परिवहन निगम
9.	खेल एवं युवक कल्याण विभाग	संचालनालय, खेल एवं युवक कल्याण	म. प्र. क्रीड़ा परिषद्
10.	वन विभाग	प्रधान मुख्य वन संरक्षक	म. प्र. राज्य वन विकास निगम म. प्र. राज्य लघुवनोपज संघ.
11.	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग	उद्योग संचालनालय	म. प्र. ट्रेड एवं इन्वेस्टमेंट फेसिलिटेशन निगम लिमि.
		पंजीयक, फर्म्स एवं संस्थायें, म. प्र.	म. प्र. लघु उद्योग निगम लिमि.
		संचालक, व्यापार एवं लघु उद्योग	म. प्र. स्टेट इंडस्ट्रीयल डेव. निगम लि.
		संचालक, वाष्पयंत्र	ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण
			म. प्र. रोजगार निर्माण बोर्ड
			म. प्र. राज्य उद्योग निगम लि.
			म. प्र. राज्य वस्त्र निगम लि.
			म. प्र. औद्योगिक केन्द्र विकास निगम
			म. प्र. राज्य इलेक्ट्रानिक्स डेव. कारपोरे.
12.	खनिज साधन विभाग	संचालनालय, भौमिकि तथा खनिकर्म	म. प्र. राज्य खनिज विकास निगम
13.	उर्जा विभाग	मुख्य अभियंता (वि.सु.) एवं मुख्य विद्युत निरीक्षक.	म. प्र. विद्युत वितरक कम्पनी उत्पादन पोषण कृषि विश्वविद्यालय.
		विद्युत लोकपाल	म. प्र. विद्युत मंडल
			म. प्र. उर्जा विकास निगम
14.	कृषि एवं किसान विकास विभाग	संचालनालय, कृषि	म. प्र. राज्य बीज एवं फार्म विकास नि.
		कृषि अभियांत्रिकी संचालनालय	म. प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड
		कृषि उत्पादन आयुक्त	म. प्र. स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज कारपोरेशन
			म. प्र. राज्य बीज प्रमाणिकरण संस्था
			म. प्र. भूमि विकास निगम
15.	सहकारिता विभाग	सहकारिता आयुक्त	
		पंजीयक सहकारी संस्थाएं	अंकेक्षण बोर्ड
16.	श्रम विभाग	श्रमायुक्त,	म. प्र. श्रम कल्याण मंडल
		औद्योगिक न्यायालय/औद्योगिक	
		स्वास्थ्य सुरक्षा	
		कर्मचारी राज्य बीमा सेवायें.	
17.	लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग.	संचालनालय, स्वास्थ्य सेवायें	
		संचालक, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	
		नियंत्रक, खाद्य एवं औषधि प्रशासन	

(1)	(2)	(3)	(4)
18.	नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग	संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास	
19.	लोक निर्माण विभाग	प्रमुख अभियंता, लोक निर्माण संचालक, सड़क निर्माण परियोजना.	म. प्र. सड़क विकास निगम
20.	स्कूल शिक्षा विभाग	लोक शिक्षण संचालनालय राज्य शिक्षा केन्द्र संचालनालय, राष्ट्रीय छात्र सेना	म. प्र. राज्य ओपन स्कूल म. प्र. पाठ्य पुस्तक निगम म. प्र. माध्यमिक शिक्षा मंडल म. प्र. मदरसा बोर्ड म. प्र. संस्कृति बोर्ड राजीव गांधी शिक्षा मिशन
21.	विधि एवं विधायी कार्य विभाग		म. प्र. राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण म. प्र. माध्यमस्थ अधिकरण
22.	पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग	विकास आयुक्त आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा संचालनालय संचालक, ग्रामीण रोजगार.	
23.	योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग.	आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय राज्य योजना मंडल	
24.	जनसंपर्क विभाग	जनसंपर्क संचालनालय	म. प्र. माध्यम माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय.
25.	आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति कल्याण विभाग.	आयुक्त, आदिवासी विकास आयुक्त, अनुसूचित जाति विकास संचालक, आदिम जाति अनुसंधान संस्थान संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं	म. प्र. राज्य अनु. जनजाति आयोग म. प्र. राज्य अनु. जाति आयोग म. प्र. अनु. जाति वित्त एवं विकास निगम म. प्र. अनु. जनजाति वित्त एवं विकास निगम
26.	सामाजिक न्याय विभाग	आयुक्त, पंचायत एवं समाज सेवा	
27.	नर्मदा घाटी विकास विभाग		
28.	पुनर्वास विभाग	पुनर्वास एवं राहत आयुक्त	
29.	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग.	संचालनालय, खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण. नियंत्रक, नाप तौल	म. प्र. राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग म. प्र. स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पो. म. प्र. राज्य भंडार गृह निगम
30.	संस्कृति विभाग	राजभाषा एवं संस्कृति संचालनालय स्वराज संस्थान पुरातत्व अभिलेख एवं संग्रहालय	

(1)	(2)	(3)	(4)
31.	जल संसाधन विभाग	प्रमुख अभियंता, जलसंसाधन	
32.	आवास एवं पर्यावरण विभाग	संचालनालय, नगर तथा ग्राम निवेश	म. प्र. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड म. प्र. गृह निर्माण मंडल म. प्र. राज्य कर्मचारी आवास निगम
33.	पर्यटन विभाग	आयुक्त, पर्यटन कार्यालय	म. प्र. राज्य पर्यटन विकास निगम
34.	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग	प्रमुख अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	
35.	पशुपालन विभाग	संचालनालय, पशु चिकित्सा सेवायें	म. प्र. गौशाला एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड म. प्र. राज्य पशुधन एवं कुक्कुट विकास निगम. म. प्र. राज्य दुग्ध महासंघ
36.	मछली पालन विभाग	संचालनालय, मत्स्योद्योग	म. प्र. मत्स्य महासंघ
37.	उच्च शिक्षा विभाग	आयुक्त, उच्च शिक्षा	
38.	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग		म. प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्
39.	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण नियोजन विभाग.	तकनीकी शिक्षा संचालनलाय	म. प्र. व्यावसायिक परीक्षा मंडल
40.	20 सूत्रीय कार्यान्वयन विभाग		
41.	सार्वजनिक उपक्रम विभाग		
42.	विमानन विभाग	संचालक, विमानन	
43.	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास विभाग.	संचालक, भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	
44.	संसदीय कार्य विभाग		
45.	महिला एवं बाल विकास विभाग	संचालनालय महिला एवं बाल विकास	म. प्र. राज्य महिला आयोग म. प्र. राज्य वित्त एवं विकास निगम म. प्र. राज्य समाज कल्याण बोर्ड
46.	ग्रामोद्योग विभाग	हाथकरघा एवं हस्तशिल्प संचालनालय रेशम संचालनालय	म. प्र. खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड म. प्र. हस्तशिल्प हथकरघा विकास निगम
47.	जनशिकायत निवारण विभाग		

(1)	(2)	(3)	(4)
48.	पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	संचालनालय, पिछड़ा वर्ग कल्याण संचालनालय, अल्पसंख्यक कल्याण	म. प्र. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग म. प्र. पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम. राज्य स्तरीय पिछड़ा वर्ग परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केन्द्र. म. प्र. राज्य अल्पसंख्यक आयोग म. प्र. वक्फ बोर्ड वक्फ न्यायाधिकरण सर्वे वक्फ आयुक्त म. प्र. उर्दू अकादमी मसाजिद कमेटी हज कमेटी
49.	चिकित्सा शिक्षा विभाग	संचालक, चिकित्सा शिक्षा संचालनालय, भारतीय चिकित्सा पद्धति एवं होम्योपैथी.	
50.	सूचना प्रौद्योगिकी विभाग		
51.	जैव विविधता एवं जैव प्रौद्योगिकी विभाग.		म. प्र. राज्य जैव विविधता बोर्ड
52.	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग.	संचालनालय, उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी	

सामान्य प्रशासन विभाग के लोक प्राधिकारियों की डायरेक्ट्री

क्र. (1)	प्रशासनिक इकाई, निगम, मंडल आयोग, शासकीय उपक्रम (2)	सहायक लोक सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाने का दिनांक (3)	लोक स. कं. सूचना अधिकारी नियुक्त किये जाने का दिनांक (4)	अपीलीय अधिकारी नियुक्त करने का दिनांक (5)
1	मानव अधिकार आयोग	सहायक रजिस्ट्रार लॉ आदेश दिनांक 4-10-2005.	संयुक्त संचालक, जनसंपर्क आदेश दिनांक 4-10-2005.	सचिव, मानव अधिकार आयोग, आदेश दिनांक 4-10-2005.
2	राज्य सूचना आयोग	—	अवर सचिव, राज्य सूचना आयोग, आदेश दिनांक 7-2-2006.	सचिव, राज्य सूचना आयोग, आदेश दिनांक 7-2-2006.
3	आर. सी. व्ही. पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, भोपाल.	उप संचालक, दिनांक 15-9-2005.	संयुक्त संचालक (वित्त), दिनांक 15-9-05.	संयुक्त संचालक (प्रशासन), दिनांक 15-9-2005.
4	लोकायुक्त कार्यालय, म. प्र.	—	पुलिस उप महानिरीक्षक, मुख्य अभियंता और उपसचिव, दिनांक 9-8-2005.	महानिदेशक, दिनांक 9-8-2005, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं पदेन सचिव.
5	मुख्य तकनीकी परीक्षक (सतर्कता).	सहायक यंत्री, दिनांक 27-9-2005	कार्यपालन यंत्री (प्रशासन), दिनांक 27-9-2005.	मुख्य अभियंता (वि/या), दिनांक 27-9-2005.
6	राज्य निर्वाचन आयोग	अवर सचिव, दिनांक 1-9-2005	उपसचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, दिनांक 22-9-2005.	सचिव, मध्यप्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग, दिनांक 22-9-2005.
7	आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, नई दिल्ली.	अनुभाग अधिकारी, दिनांक 19-9-2005	शिष्टाचार अधिकारी, दिनांक 19-9-2005.	उप आवासीय आयुक्त, दिनांक 19-9-2005.
8	लोक सेवा आयोग, इंदौर	अनुभाग अधिकारी, दिनांक 1-10-2005.	अवर सचिव, दिनांक 1-10-2005.	सचिव, लोक सेवा आयोग, म. प्र., दिनांक 1-10-2005.
9	महामहिम राज्यपाल का सचिवालय, म. प्र.	राज्यपाल के निज सहायक, दिनांक 2-3-06.	राज्यपाल के विशेष सहायक, दिनांक 30-9-2005.	राज्यपाल के उपसचिव, दिनांक 30-9-2005.
10	आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो.	जिला अभियोजन अधिकारी आदेश, दिनांक 28-9-2005.	सहायक पुलिस महानिरीक्षक, आदेश दिनांक 28-9-2005.	उप पुलिस महानिरीक्षक, आदेश दिनांक 28-9-2007.

मंत्रालय के लोक सूचना अधिकारियों की डायरेक्ट्री

सहायक लोक सूचना अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं अपीलीय अधिकारी की जानकारी (अद्यतन दिनांक 3.4.2008)

क्रमांक	विभाग का नाम	सहायक लोक सूचना अधिकारी				लोक सूचना अधिकारी				अपीलीय अधिकारी			
		नाम	पदनाम	दूरभाष क्रमांक (कार्या.)	कक्ष क्रमांक	नाम	पदनाम	दूरभाष क्रमांक (कार्या.)	कक्ष क्रमांक	नाम	पदनाम	दूरभाष क्रमांक (कार्या.)	कक्ष क्रमांक
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	सामान्य प्रशासन विभाग	श्री जफर कुरैशी	अवर सचिव	--	424–सी	डॉ० अरूणा गुप्ता	उप सचिव	2441332 2484	445	श्री एस०डी० अग्रवाल	सचिव	2441452 5252085	447
2	गृह	श्री दशरथ कुमार	अवर सचिव	2441068	436	श्री मुकेश चन्द गुप्ता	उप सचिव	2441538	436	श्री राजेश राजौरा	सचिव	2441816	433
3.	जेल	–	–	–	–	श्री के०पी० राही	अपर सचिव	2574941	437	श्री दिलीप मेहरा	प्रमुख सचिव	2441843	82
4.	वित्त	श्री अब्दुल रज्जाक	अवर सचिव	2597303 2303	–	श्री वाई०एस० वेले	उप सचिव	2550948 2246	202 बी	श्री ए०पी० श्रीवास्तव	सचिव	2441430	211
5	वाणिज्यिक कर	श्री पी०सी० राठौर	अवर सचिव	2760176	103 सी	श्री बी०पी०एस० परिहार	अपर सचिव	2441701	141	श्री जी०पी० सिंघल	प्रमुख सचिव	2441515	341
6.	धार्मिक न्यास और धर्मस्व	श्रीमती भागवती चांदवानी	अनुभाग अधिकारी	2091 2597091	74 डी	सुश्री प्रभा चौधरी	उप सचिव	2441203 2086	74 डी	श्रीमती आभा अस्थाना	प्रमुख सचिव	2441088	210
7	राजस्व	श्री जी०डी० गुप्ता	अवर सचिव	2597194 2194	121	श्री एल०एन० सोनी	उप सचिव	4251085	203 एफ	श्री के०सी० गुप्ता	सचिव	2441556	72–ए
8	परिवहन	श्री आर०आर०एस० मराठी	अवर सचिव	2450	425 ए	श्री दिलीप राज द्विवेदी	उप सचिव	2441536 2490	429	श्री विनोद चौधरी	अपर मुख्य सचिव	2441190 2241	240
9.	खेल और युवक कल्याण	श्री एम० डाबी	अवर सचिव	2597321 2357	317–ए	श्री सुखवीर सिंह	उप सचिव	2441339	110	श्रीमती रंजना चौधरी	प्रमुख सचिव	2441008	309
10	वन	श्री एम०एस० करयाम	अवर सचिव	2441188 2092	73	श्री पुष्कर सिंह	अपर सचिव	2674241 2082	94	श्री रतन पुरवार	सचिव	2570080 2570080 2224	
11	वाणिज्य और उद्योग	श्री पी०के० ठाकुर	अवर सचिव	2597070 2070	52–बी	श्री एन०एस० सोलंकी	उप सचिव	2597152 2152	122–बी	श्री दीपक खांडेकर	उद्योग आयुक्त एवं पदेन सचिव	2677988	412
12	खनिज साधन	श्री डी०एस० परिहार	अवर सचिव	2597066 2066	52–जी	श्री एस०के० मण्डल	अपर सचिव	2441124 2122	102–डी	श्री सेवाराम	सचिव	2764308	325
13	ऊर्जा	श्री एस०के० जैन	कार्यपालन यंत्री	2597397	302(एच)	श्री सी०एस० यादव	उप सचिव	2597398	302 (एच)	श्री आर०बी० अग्रवाल	अपर सचिव	2597347	317(जे)
14.	किसान कल्याण एवं कृषि विकास	श्री आर०के० भलावी	अवर सचिव	2597170	119 ए	श्री बी०एस० बघेल	अपर सचिव	4251314	62	श्री प्रवेश शर्मा	प्रमुख सचिव	2441149	305
15	सहकारिता	श्री एस०एल० उपाध्याय	अवर सचिव	2597169	119 ए	श्री नीरज कुमार श्रीवास्तव	उप सचिव	2551891	122 ए	श्री प्रवेश शर्मा	प्रमुख सचिव	2441149	305
16.	श्रम	श्रीमती कुसुम शंखरकर	अवर सचिव	244881 2048	52 डी	डॉ० डी०पी० सिंह	उप सचिव	2441087 2030	80	श्री ए०पी० श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव	2441436	211
17	लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण	श्री एस०एल० सिंहगणडिया	अनुभाग अधिकारी	2346	318–ई	श्री घनश्याम सहारे	अपर सचिव	2343	317–बी	श्री सी०बी० सिंह	उप सचिव	2438	317 बी
18	नगरीय प्रशासन एवं विकास	श्री आर०के० वीकरे श्री ओ०पी० सोनी	अवर सचिव अवर सचिव	2577621 2351 235152 2352	317–डी	श्री सुरेंद्र उपाध्याय	उप सचिव	2190	128	श्री राघव चन्द्रा	प्रमुख सचिव	2179	226

19. 9	लोक निर्माण	श्री एम.के. भाटिया	अनु0 अधि0	2250	202 ए	श्री एस0के0 उपाध्याय	अवर सचिव	2320	202 ए	श्रीमती जयश्री कियावत	उप सचिव	2163 2441761	109
20	स्कूल शिक्षा	श्री के0टी0 पंत श्री एम0के0 दांडे श्री ए0एस0 पगारे	अवर सचिव अवर सचिव अवर सचिव	2220 2217 2234	203 बी 203 बी 203 बी	श्रीमती पुष्पलता सिंह श्रीमती रजनी उईके	उप सचिव उप सचिव	2441496 2239 2551437 2218	208 203 बी	श्री मनोज झालानी	सचिव	2441759 2419 2537 पीए	324
21	विधि और विधायी कार्य विभाग					श्री एच.के. पेटकर	अवर सचिव			श्री आर0के0 पाण्डे	सचिव	2441847	
22	पंचायत एवं ग्रामीण विकास	श्रीमती उर्मिला सुरेंद्र	उप सचिव	2441842	302 ई	श्री वसीम अख्तर	सचिव सचिव	2441459	विंध्याचल भवन, विकास आयुक्त कार्यालय	श्री प्रदीप भार्गव	अपर मुख्य सचिव	2441348 2441348	[illegible]
23.	योजना, आर्थिक और सांख्यिकी	श्रीमती मीनाक्षी मालवीय	अवर सचिव	2398		श्री डी0पी0 अहिरवार	उप सचिव	2406	338	श्री मनोज झालानी	सचिव	2419	[illegible]
24	जन संपर्क	–	–	–	–	श्री के0ए0 कबीर	उप सचिव	2556993	निल	श्री मनोज श्रीवास्तव	सचिव	[illegible]	310बी
25.	आदिम जाति कल्याण तथा अनुसूचित जाति कल्याण	श्री एस0के0 रजक श्री एस0एल0 जाटव	अवर सचिव अवर सचिव	2424 2095	74-ए 74-ए	श्रीमती उर्मिला सुरेन्द्र शुक्ला श्री एस0के0 मारन श्री अखिलेश अर्गल	उप सचिव अपर सचिव अपर सचिव	2441240 2042 2042 2571879	74-ई 79-बी	श्री ओ0पी0 रावत	प्रमुख सचिव	2441147	241
26	सामाजिक न्याय	श्री आर0आर0 अहिवार	अवर सचिव	2597333	302 बी	श्री जी0पी0 कबीरपंथी	उप सचिव	2577059	437	श्री आर0एन0 बैरवा	अपर मुख्य सचिव	2441114	113
27	नर्मदा घाटी विकास	श्री डी0के0 लोखण्डे	अवर सचिव	2760432 2119	316	श्री आर0सी0 गामोड़	अपर सचिव	2577309 2144	137	श्री डी0एस0 राय	सचिव	2441037	339
28.	गृहवास	–	–	–	–	श्री दास	अनुभाग अधिकारी	2597097	74 डी	सुश्री प्रभा चौधरी	उप सचिव	2597086	74 डी
29	खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण	श्री एल0पी0 जैन	अवर सचिव	2597210	102 सी	श्री पी0डी0 पिढिहा	उप सचिव	2441092	102 एफ	श्री एम0के0 राय	प्रमुख सचिव	2551276	पर्यावास भवन
30	संस्कृति	श्रीमती सरिता पाला	अवर सचिव	2552716 2324	317 ए	श्रीमती रेनू तिवारी	उप सचिव	2441358	61	श्री मनोज श्रीवास्तव	सचिव	2573342	310 बी
31.	जल संसाधन	श्रीमती ज्योत्सना गुप्ता	अवर सचिव	2334	316	श्री एन0एस0 परमार	उप सचिव	4094216	202 सी	श्री अरविंद जोशी	प्रमुख सचिव	2441827	227
32	आवास और पर्यावरण	श्री एम0 बी0 ओझा श्री नरेश पाल सुश्री वर्षा नावलेकर	उप सचिव	2597418	302 डी	1. श्री नरेश पाल 2. श्री एम0बी0 ओझा	उप सचिव उप सचिव	2441746 2385 2441053 2362	302 डी 203 एफ	डॉ देवराज बिरदी	प्रमुख सचिव	2441494 2463	408
33.	पर्यटन	श्रीमती सरिता पाला सोनकर	अवर सचिव	2597323	317 ए	श्रीमती रेनू तिवारी	उप सचिव	2597031	61	श्री इकबाल सिंह बैस	सचिव	2441314	507
34	लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी	श्री पी0एस0 राजपूत	अवर सचिव (स्थापना)	2766341	102-सी	श्री एस0एस0 श्रीवास्तव	अपर सचिव	4285311	142	श्री पी0सी0 मीना	सचिव	428522	104
35	पशुपालन	श्री पी.आर. मालवीय	अवर सचिव	2591023	10 बी	डॉ. व्ही.के. शुक्ल	उप सचिव	2597167 2441532	119	श्री आर0के0 अग्रवाल	प्रमुख सचिव	2441462	222 द्वितीय [illegible]

36	मत्स्य पालन	श्री पी0आर0 मालवीय	अवर सचिव	2591023	10 बी	डॉ0 वी0के0 शुक्ल	उप सचिव	2597167 2441532	119	श्री आर0के0 अग्रवाल	प्रमुख सचिव	2441462	222 द्वितीय मंजिल
37	उच्च शिक्षा	श्रीमती एस0एस0 सहारे	अवर सचिव	2587322	302–सी	श्रीमती वीणा तैलंग	उप सचिव	2764008 2342	318–डी	श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव	2441442	312
38	विज्ञान और टेक्नालाजी	श्री बगाले	अनुभाग अधिकारी	2213	–	श्री ए0के0 सक्सेना	अवर सचिव	2025		श्री जी0एस0 खेरपार	उप सचिव	2571001 2025	10 सी
39	तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण	श्रीमती प्रभा धुर्वे	अवर सचिव	2160	–	श्री ए0के0 जैन	उप सचिव	2247	203	श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव	प्रमुख सचिव	2441442	312
40	बीस सूत्र कार्यान्वयन	श्रीमती मीनाक्षी मालवीय	अवर सचिव	2441518 2597298	302 ए	श्री बी0आर0 विश्वकर्मा	उप सचिव	2441210	338	श्री मनोज झालानी	सचिव	2441636 2419	324
41	सार्वजनिक उपक्रम	श्री ए0के0 सक्सेना	अवर सचिव	2597213 2213	102–सी	श्री डी0एस0 पीटर	उप सचिव	2597038 2038	77	श्री सत्य प्रकाश	प्रमुख सचिव	2441841	340
42	विमानन	एस0डी0 दुबे	–	2446868	पांचवी मंजिल	श्री एस0एस0 कुमरे	उप सचिव	2441077	80	श्री इकबाल सिंह बैस	सचिव	2441374	507
43	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास	श्रीमती कल्पना जैन	अनुभाग अधिकारी	2505	10 बी	श्री के0के0 दुबे	अवर सचिव	2597042 2552037	79	श्री आर0के0 कोरी	उपसचिव	2766255	79
44	संसदीय कार्य	श्री राजेश गुप्ता	अवर सचिव	2441102	विन्ध्याचल भवन द्वितीय तल	श्री एल0सी0 मोटवानी	उप सचिव	2441102	विन्ध्याचल भवन द्वितीय तल	श्री दिलीप मेहरा	प्रमुख सचिव	2441843	82 [illegible]
45	महिला एवं बाल विकास	श्री रमेश तोलानी	अवर सचिव	4007116		श्री अखिलेश श्रीवास्तव	उप सचिव	4007118	127	श्री आर0एन0 बैरवा	अपर मुख्य सचिव	2441114	113
46	ग्रामोद्योग	श्री पी0पी0 गोयल	अवर सचिव	2384	312 बी	डॉ0 के0के0 यादव	उप सचिव	2441854 2367	304 बी	श्री एम0के0 खान	सचिव	2441424	310
47	जन शिकायत निवारण					श्रीमती तबस्सुम जैदी	उप सचिव	2597100 2574096	72 सी	श्री एस0के0 अग्रवाल	सचिव	2441452 2597379	447
48	पिछड़ा वर्ग तथा अल्प संख्यक कल्याण	श्रीमती शोभा इवनाती	अवर सचिव	2597244 2499	10 सी 2	श्री जब्बार ढाकवाला	अपर सचिव	2441081 2408	102 ई	श्री एम0के0 गोयल	प्रमुख सचिव	2036	74
49	चिकित्सा शिक्षा	श्री ए0एम0 पुरोहित	अवर सचिव	2597344 2345	318–ई	श्रीमती अनुभा श्रीवास्तव	उप सचिव	2449		श्री आई0एस0 दाणी	प्रमुख सचिव	2441620	111
50	सूचना प्रौद्योगिकी					श्री अनुराग श्रीवास्तव	अपर सचिव	4251133	132	श्री अनुराग जैन	सचिव	2441002	533
51	जैव विविधता (बायो–डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी)	श्रीमती भारती ओगरे	अवर सचिव	2029	–	श्री एम0एस0 भिलाला	उप सचिव	2597244 2244	103 डी	श्री प्रशांत मेहता	प्रमुख सचिव	2441636	64
52	उद्यानिकी एवं खाद्य प्रसंस्करण	–	अवर सचिव	2313	203–सी	श्री अशोक कुमार वर्मा	उप सचिव	4246957	502	श्री एस0पी0एस0 परिहार	सचिव	2441396	506

शाकेमुभो—55—असप्रविभो—8-4-08—1000.